101

संख्या :158/XVII(4)/-04(17)/2004

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

3. मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

5. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

समाज कल्याण अनुभाग   देहरादून : दिनांक   04 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2004

विषय : शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिष्ठानों/सार्वजनिक उपकमों में कतिपय पदों पर पूर्व सैनिक उद्यम लि0 से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि सेना सेवा से मुक्त किए गये अधिकारियों एवं कार्मिकों के पुर्ननियोजन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार तत्पर है । भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन पुर्नवासन महानिदेशालय पूर्व सैनिकों के लिए गठित किया गया है । राज्य स्तर पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवासन कार्यालय गठित है । पूर्व सैनिकों का पुर्नवासन, पुर्ननियोजन अथवा स्वतः रोजगार के माध्यम से किया जाता है । राज्य अधीन सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया है ।

सभी राज्यों में समय-समय पर संविदा के आधार पर मानव शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई है । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक राज्यों मे पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य ईकाईयाँ गठित की गई है । पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर-प्रदेश में भी उत्तर-प्रदेश सैनिक कल्याण निगम कार्यरत है । मार्च, 2004 में उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) का गठन कर दिया गया है, तथा कम्पनी ने व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी है ।

भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों, एवं विभागों को जारी किये गये अपने परिपत्र में निर्देशित किया है कि यदि सार्वजनिक उपकमों द्वारा संविदा के आधार पर सुरक्षाकर्मी

नियोजित किये जाते है तो ऐसे सुरक्षा कर्मचारी ही नियोजित किये जाये जो महानिदेशक, पुर्नवासन द्वारा प्रायोजित हो अथवा जों सम्बन्धित राज्य पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 द्वारा प्रायोजित हो । उक्त निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है पुर्नवासन महानिदेशालय अथवा राज्य पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 द्वारा प्रायोजित पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर सुरक्षा कर्मी नियोजित करने हेतु सम्बन्धित सार्वजनिक उपकम को किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पुर्नवासन महानिदेशालय द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले सुरक्षाकर्मी के लिए निश्चित की गई दरों में किसी प्रकार का फेरबदल नही किया जाना चाहिए ।

उत्तरांचल में लगभग सभी विभागो में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है । निर्धारित प्रकिया के अनुसार रिक्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही गतिमान है, परन्तु तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्थाई रूप से कार्मिकों की आवश्यकता विद्यमान है । इसे दृष्टिगत रखते हुए, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) को निर्देशित किया गया है कि वे अर्हता प्राप्त पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक उपकमों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) ने सूचित किया है कि वे इस पत्र के संलग्नक में दर्शायें गये श्रेणी के कार्मिकों को संविदा पर उपलब्ध करा सकता है। संलग्नक में प्रत्येक श्रेणी के कार्मिक के सम्मुख "उपसुल" को प्रतिमाह देय धनराशि इंगित की गई है । पूर्ण माह हेतु कार्मिकों की आवश्यकता न होने की स्थिति में 15 दिन अथवा उससे ऊपर की अवधि के लिए पूर्ण माह हेतु निश्चित की गई धनराशि देय होगी और यदि कार्मिकों की सेवायें 15 से कम दिन के लिए प्राप्त की गई है तो निश्चित धनराशि का आधा भाग देय होगा । संलग्नक में श्रेणीवार कर्मचारी की मासिक अवधि के लिए देय धनराशि के अतिरिक्त " उपसुल " को मासिक धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) के रूप में देय होगी । केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार, यदि कोई आय कर निर्धारित किए जाते है तो वो भी देय होंगे । " उपसुल " द्वारा इस आदेश के अधीन उपलब्ध करायें गये कार्मिकों को सप्ताह में 6 दिन 8 घण्टे की डयूटी देनी होगी । राष्ट्रीय पर्वो (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती) को छोड़ते हुए अन्य सार्वजनिक अवकाशों के दौरान भी इन कार्मिकों को डयूटी देनी होगी । यदि किसी कारण इनको अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो " उपसुल " प्रतिस्थानी कर्मचारी उपलब्ध करायेगा । "उपसुल" द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के अनुशासन की जिम्मेदारी स्वयं " उपसुल " की होगी तथा किसी कार्मिक द्वारा डयूटी पर लापरवाही अथवा अनुशासनहीनता प्रकट करने पर ऐसे कार्मिक को "उपसुल" को लौटा दिया जायेगा तथा " उपसुल" उसके स्थान पर प्रतिस्थानी कार्मिक उपलब्ध करायेगा । " उपसुल " द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक के द्वारा अपने किसी कृत्य अथवा लापरवाही से क्षति पहुंचाई जाती है तो ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए " उपसुल " जिम्मेदार होगा ।

इस पत्र के संलग्नक में दर्शाये गये कार्मिकों की श्रेणी में किसी कार्मिक की आवश्यकता हो तो सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक

उपक्रम, सोसाइटी, आयोग अपनी मांग कर्नल (अ0प्रा0) श्री पी0 एस0 वर्मा, सामान्य प्रबन्धक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, (वर्तमान दूरभाष सं0 0135–2665659, वर्तमान पता– बी – 89, सेक्टर–4, डिफैंस कालोनी, देहरादून) को भेज सकते है ।

" उपसुल" से उपरोक्तानुसार संविदा पर संलग्नक मैं दर्शाये गये कार्मिकों की सेवा प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नही होगी ।

संविदा पर रखे गये इन कार्मिको को कोई भी ओवर टाइम अनुमन्य नहीं होगा ।

भवदीय,

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या 158–XVII(1)/04–9(17) /2004, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. ब्रिगेडियर (अ0प्रा0) रमेश भाटिया, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, कचहरी कैंपस, उत्तरांचल देहरादून ।
2. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

(एस0 के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

104

शासन के पत्र सं0 158-XVII(1)-9(17)/04 दिनांक 04-8-04 का अनुलग्नक

श्रेणीवार कार्मिकों हेतु अनुमोदित दरें

	कार्मिकों की श्रेणी		धनराशि रूपये में
1.	चौकीदार (सशस्त्र)	:	5,400.00
2.	चौकीदार (लाठी, सीटी एवं टार्च सहित)	:	4,700.00
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	:	4,000.00
4.	लिपिक (कम्प्यूटर पर टंकण तथा एम0 एस0 आफिस का ज्ञान)	:	6,550.00
5.	लिपिक (टंकण का ज्ञान)	:	5,700.00
6.	चालक (लाइसेंस युक्त)	:	5,400.00

****

5

संख्या : No. 900 XVII (1)-3/05-09(UP)/05

समस्त सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

प्रबन्ध निदेशक उपसुल।

समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल

समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल

सैनिक कल्याण (समाज कल्याण) देहरादून : दिनांक २४ मई २००५

शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिष्ठानों/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक ...ों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं, फोरेस्ट ट्रस्ट अस्पताल/मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी/टिहरी डेम प्रोजेक्ट ...पर उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि० से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करने की व्यवस्था के ... में।

महोदय,

उत्तरांचल सरकार के शासनादेश संख्या No. 158 - XVII / -09 (17)/ 2004 dt. 04/08/04 में ... संशोधन ... है :-

(१) विभागाध्यक्ष उक्त शासनादेश के आधार पर / कार्मिकों को विभागीय रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ... पर ..., तकनीकी तथा विविध सेवाओं में कार्मिकों को उपसुल से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) उत्तरांचल सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा वेतन / महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार जो वृद्धि की जाती है, शासनादेश मे संलग्न वेतनमान में सम्मिलित कर तदनुसार कार्मिकों को देय होगी।

(ग) उपसुल को सर्विस चार्ज तत्काल प्रभाव से 12% की दर से देय होगा।

(घ) भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा जो भी सर्विस टैक्स समय समय पर निर्धारित / संशोधित किया जायेगा तदनुसार सर्विस टैक्स, कार्मिकों की श्रेणीवार जो कि शासनादेस के साथ संलग्न है, की दर से देय होगा।

भवदीय,

(एस० के० मुट्टू)
प्रमुख सचिव,

102 7

...के पत्र सं० 900-XVIII(1)-3/05-01(1022)/02 दिनांक 24/05/2005 का अनुलग्नक

श्रेणीवार कार्मिकों हेतु अनुमोदित दरें प्रति माह

क्र०सं०	कार्मिकों की श्रेणी	धनराशि रूपये में	सर्विस चार्ज 12 %	योग	सर्विस टैक्स 10.2%	उपसूल को कुल देय धनराशि
1	चतुर्थ श्रेणी	4000.00	480.00	4480.00	48.96	4529.00
2	चौकीदार (लाठी, सीटी, एवं टार्च सहित)	4700.00	564.00	5264.00	536.92	5800.00
3	चौकीदार (सशस्त्र)	5400.00	648.00	6048.00	616.89	6665.00
4	...गार्ड/गार्ड कमाण्डर	6250.00	749.96	7000.00	713.96	7714.00
5	तकनीकी ग्रेड -2/ ड्राईवर	5400.00	648.00	6048.00	66.09	6114.00
6	तक...नीकी ग्रेड -1	5700.00	683.94	6383.44	69.76	6453.00
7	लिपिक (एम०एस०ओ का ज्ञान)/कम्पूटर डाटा एन्ट्री ऑ०/ कम्पूटर ओ०/ मिटर रिडर / डाटा फिडर/ डी०ई०ओ० टेलिफोन टैक्निशियन/ ऐकाऊटेन्ट / स्टोर कीपर	6550.00	786.00	7336.00	80.17	7416.00
8	स्टेनो एवम कम्पूटर ऑ०	7350.00	882.00	8232.00	90.00	8322.00
9	असिस्टेन्ट एडमिन० ऑफिसर / असिस्टेन्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर /कनिष्ठ अभियन्ता	8036.00	964.00	9000.00,	98.37	9099.00
10	एडमिन० ऑफिसर / रिजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर	18794.00	2255.00	21050.00	230.00	21280.00
11	मुख्य एडमिन० ऑफिसर/ मुख्य प्रोजेक्ट ऑफिसर	20963.00	2516.00	23478.00	257.00	23735.00

नोट : भारत सरकार, वित्त विभाग रैविन्यु तथा टैक्स युनिट के पत्रांक संख्या B-2/08/2004 टी० आर० यु० दिनांक 10/09/2004 के अन्तर्गत सर्विस टैक्स 10.2% देय है। सिक्योरिटी सर्विसेज में सर्विस चार्ज योग पर तथा अन्य सेवाओं पर केवल सर्विस चार्ज पर देय है।

(एस० के० मुद्दू)

(8)

संख्या 523/XVII-3/13-09(17)/2004

प्रेषक,

राकेश कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक12 जून, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियतवेतन का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एक सैनिक/अर्द्ध सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष बडी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनका पुनर्वासन एवं कल्याण केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए जहाँ निदेशालय, सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) अपनी स्थापना (वर्ष 2004) अवधि काल से ही पूर्व सैनिकों/अर्द्ध सैनिकों एवं उनके आश्रितों को संविदा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर पुनर्वासन का कार्य करता रहा है।

शा0सं0 158/XVII(1)-09(11)/2004
दिनांक 04 अगस्त, 2004
शा0सं0 900/XVII(1)-03/2005-09(102)/05
दिनांक 24 मई, 2005
शा0सं0-209/पी0एस0-रा0सै0क0/2006
दिनांक 03 मार्च, 2006
शा0सं0 77/XVII-3/11-09(17)/2004
दिनांक 23 फरवरी, 2011

उपनल, यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथापि राज्य सरकार इसके संचालन व्यय में सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उपनल स्वयं अपने संसाधनों से इसकी व्यवस्था करता है। उपनल जहाँ एक ओर पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को मुख्यतः रोजगार उपलब्ध कराता है वहीं दूसरी ओर नियोक्ता (Principal Employer) विभाग की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुये संतुलन भी स्थापित करता है अर्थात् उपनल एक आउटसोर्सिंग एजेन्सी के रूप में भी कार्य करते हुये योग्य/अर्ह मानव श्रम/संसाधन भी उपलब्ध कराता है, चाहे सम्बन्धित कार्मिक की पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस क्रम में उपनल अर्द्ध सैनिकों एवं एस0एस0बी0 गुरिल्लाओं को भी उनकी योग्यतानुसार तथा नियोक्ता विभाग की आवश्यकता एवं संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।

2. उत्तराखण्ड सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थानों/निगमों/स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये समस्त कार्मिकों का पुनरीक्षित मानदेय संलग्न परिशिष्ट 'क' (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय) एवं परिशिष्ट 'ख' (कार्मिकों को भुगतान देय) में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

3. पूर्ववर्ती शासनादेशों के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त विभागीय पदों तथा विभागीय ढाँचे में सन्निहित आउटसोर्सिंग पदों हेतु संविदा पर सुरक्षा/तकनीकी/विविध सेवाओं के लिए उपनल के माध्यम से कार्मिक प्रदान करने की व्यवस्था संचालित है। संविदा पर नियुक्ति के समय पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिक/वीर नारियों/पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नी/आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिकों एवं पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिकों के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रदान किया जाता है।

4. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी.डी.एस. कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे, उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory due) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं।

6. 25 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय, (DGR) भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होंगी।

7. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 16 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

8. अवकाश राहत केवल उन्ही कार्मिकों को देय है जिन्हें उक्त प्रस्तर 07 में उल्लिखित कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।

9. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरों पर तदनुसार लागू होगी।

10. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज/सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।

11. यह आदेश पूर्व में जारी शासनादेश संख्या:- 596/XVII-3/2011-09(17)/2004 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 शासनादेश संख्या-589/XVII-3/2012-09(17)/2004 दिनांक 25 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या-613/XVII-3/2012-09(17)/2004 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को अतिक्रमित भी करता है।

12. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 416/XVII-7/2013-14 दिनांक 07 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

10

पृष्ठांकन संख्या— 323 /XVII-3/11–09(17)04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1 निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2 निजी सचिव—मा0 मंत्री, सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड।
3 स्टाफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6 आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव।

शासनादेश संख्या:- 323 /XVII-3/2012-09(17)/2004 दिनांक 12 जून 2013

का नवीन परिशिष्ट 'क' (पैरा 2 के संन्दर्भ में)

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत वेतन

क्र0सं0	विवरण	अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	उच्च कुशल
1	बेसिक वेतन	5608	6655	7540	8540
2	ग्रेच्युटी क्र0सं0 1 का 4.81 प्रतिशत	270	320	363	411
3	मकान भत्ता क्र0सं0 1 का 10प्रतिशत	561	666	754	854
4	कपड़ा भत्ता क्र0सं0 1 का 10 प्रतिशत	561	666	754	854
5	बोनस 3500 का 8.33 प्रतिशत	292	292	292	292
6	कुल योग (क्र0सं0 1 से 5 तक)	**7292**	**8599**	**9703**	**10951**
*7	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 13.61 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*
&8	ई0एस0आइ0 क्र0सं0 6 का 4.75 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521
9	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	**8402**	**9893**	**10164**	**11472**
$	आवश्यक कटौतियां :-				
*10	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 13.61 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*
$11	ई0एस0आइ0 क्र0सं0 6 का 4.75 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521
*12	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 12 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	673	780	*	*
$13	ई0एस0आइ0 क्र0सं0 6 का 1.75 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	128	150	170	192
14	कुल कटौती	1911	2224	631	713
15	कर्मचारी को शुद्ध देय (क्र0सं0 9 -14)	**6491**	**7669**	**9533**	**10759**
16	अवकाश राहत क्र0सं0 9 का 28.98 %	जहां लागू हो।			
17	सर्विस चार्ज क्र0सं0 9 का 2.5%	210	247	254	287
18	कुल योग (क्र0 सं0 9+17)	**8612**	**10140**	**10418**	**11759**
19	सर्विस टैक्स क्र0सं0 18 का 12.36% (या जो समय-समय पर लागू हो)	1064	1253	1288	1453
20	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि	**9676**	**11393**	**11706**	**13212**

नोट:-

* 1 अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी के कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं वे भविष्यनिधि के सदस्य बने रहेंगे तथा ऐसे कर्मियों का भविष्य निधि अंश का भुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा रू0 6500/ पर 13.61 प्रतिशत के हिसाब से रू0 885/- तथा कर्मचारी का अंश 12 प्रतिशत के हिसाब से रू0 780/- की जायेगी।

2 अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के नये कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने की तिथि के पश्चात नियुक्त होंगे को भविष्य निधि की सदस्यता अनिवार्य नहीं है।

3. अवकाश राहत केवल उन्ही कर्मियों को देय है जिन्हे शासनादेश के प्रस्तर 7 में उल्लेखित कोई भी अवकाश नही दिया जाता है।

परिशिष्ठ 'ख'

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत वेतन

क्र0स0	विवरण	अकुशल	अर्द्ध –कुशल	कुशल	उच्च - कुशल
1	बेसिक वेतन डीडीए सहित	5608	6655	7540	8540
2	ग्रेच्यूटी क्र0सं0 1 का 4.81 प्रतिशत	270	320	363	411
3	मकान भत्ता क्र0सं0 1 का 10 प्रतिशत	561	666	754	854
4	कपड़ा भत्ता क्र0सं0 1 का 10 प्रतिशत	561	666	754	854
5	बोनस 3500 का 8.33 प्रतिशत	292	292	292	292
6	कुल योग (क्र0स0 1 से 5 तक)	7292	8599	9703	10951
*7	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 13.61 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*
&8	ई0एस0आइ0 क्र0सं0 6 का 4.75 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521
9	कुल योग (क्र0स0 6+7+8)	**8402**	**9893**	**10164**	**11472**
	आवश्यक कटौतियां :–				
*10	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 13.61 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	763	885	*	*
$11	ई0एस0आइ0 क्र0स0 6 का 4.75 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521
*12	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 12 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	673	780	*	*
$13	ई0एस0आइ0 क्र0स0 6 का 1.75 प्रतिशत (कर्मचारी का अंशदान)	128	150	170	192
14	कुल कटौती	**1911**	**2224**	**631**	**713**
15	कर्मचारी को शुद्ध देय (क्र0सं0 9 –14)	6491	**7669**	**9533**	**10759**

नोट:–

* 1. अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी के कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं वे भविष्यनिधि के सदस्य बने रहेंगे तथा ऐसे कर्मियों का भविष्य निधि अंश का भुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा रू0 6500/– पर 13.61 प्रतिशत के हिसाब से रू0 885/– तथा कर्मचारी का अंश 12 प्रतिशत के हिसाब से रू0 780/– की जायेगी।

2. अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के नये कर्मी जो इस शासनादेश के लागू होने की तिथि के पश्चात नियुक्त होंगे, को भविष्य निधि की सदस्यता अनिवार्य नहीं है।

$ ई0एस0आई0 जहां लागू हो । जहां ई0एस0आइ0 लागू नहीं है वहां मुख्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के "कर्मकार प्रतिकर" (Workman Compensation) की किश्त का भुगतान करना बाध्य होगा।

ई0एस0आई0 जहां लागू हो । जहां ई0एस0आई0 लागू नहीं है वहां मुख्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के " कर्मकार प्रतिकर" (**Workman Compensation**) की किश्त का भुगतान करना बाध्य होगा।

पदों का वर्गीकरण

(क) अकुशल । चौकीदार, वेटर, मसालची, परिचर, अनुसेवक, हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी, बेलदार, गार्डबोय, टी आया, टेलीफोन अर्दली, माली, चतुर्थ श्रेणी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) अर्द्धकुशल । मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्निशियन, सुरक्षा गार्ड, आबकारी सिपाही, निरीक्षक, स्टोर कीपर, गेज रीडर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त पद चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ग) कुशल । डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, सहायक लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक, अनुदेशक, वाहन चालक, सुपरवाइजर, सर्वेक्षक, ड्राफटस्मैन, लेखाकार, फार्मेसिस्ट, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, लाइनमैन, रेडियो आपरेटर, आई0टी0आई प्रशिक्षित और इस प्रकार के काम करने वाले अन्य कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय ।

(घ) उच्च कुशल । कनिष्ठ अभियन्ता, निजि सचिव,वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ड) अधिकारी वर्ग । प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी एवं एम0बी0ए0 पर्यटन इत्यादि को निम्नलिखित वेतनमान देय होंगे :-

संकलित वेतन	सर्विस चार्ज 2.5 %	योग	सर्विस टैक्स 12.36%	उपनल को देय कुल धन
28175.00	704.00	28879.00	3569.00	32448.00

(Uttarakhand Undertaking)
...wan, Kanwali,
...un - 248006
...0135-2768820 FAX: 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, कांवली,
देहरादून – 248 006
दूरभाष 0135–2768820, फैक्स 0135–2769771

(14)

पत्रांक 922 निदेशक (मा०सं०)/के०एफ०–33 दिनांक : 1-9-08

महाप्रबन्धक,
गढ़वाल क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्र,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून/हल्द्वानी ।

विषय : अनुबन्ध के आधार पर मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण कार्य हेतु उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों की विभिन्न वितरण खण्डों में तैनाती के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक सूचित करने का निदेश हुआ है कि मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण इत्यादि कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित कराने एवं बिलिंग क्षमता में वृद्धि हेतु क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त निगम द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 392-XVII(2)/2008-09(17)/2004 दिनांक 3.7.2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को आवश्यकतानुसार विभिन्न खण्डों में संविदा के आधार पर तैनात करने हेतु उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के मध्य एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

कार्पोरेशन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न खण्डों में ऐसे कार्मिकों के कार्योजन हेतु आवश्यक संख्या का निर्धारण निम्न मानकों के अनुसार किया गया है :–

Town (Urban)-1000 nos. Connection per person per month, Town (Rural)-900 nos., Normal Hill-600 nos., Tough Hill-500 nos. and Mixed Hill (Normal+Tough)-550 nos. Connection per person per month.

उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अनुसार केवल निम्नलिखित खण्डों को तालिका के कॉलम–3 में इंगित अधिकतम् संख्या तक आवश्यकतानुसार भूतपूर्व सैनिकों को कार्योजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

Sl.No.	Name of Division	Requirement of Personnel
1	EDD (Rural), Dehradun	34
2	EDD, Vikasnagar	08
3	EDD, Rishikesh	25
4	EDD (North), Dehradun	20
5	EDD (South), Dehradun	29
6	EDD (Central), Dehradun	31
7	EDD (Urban), Roorkee	33
8	EDD (Rural), Roorkee	24
9	EDD (Urban), Hardwar	26
10	EDD (Rural), Hardwar	23
11	EDD, Ranikhet	50
12	EDD, Champawat	15
13	EDD, Rudrapur	31
14	EDD, Sitarganj	25
15	EDD, Kashipur	28
16	EDD, Bazpur	09
17	EDD (Urban), Haldwani	20
18	EDD (Rural), Haldwani	19

क्रमशः...2

उपरोक्त अनुबन्ध की शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण इत्यादि कार्यों हेतु उपाकालि के खण्डों द्वारा आवश्यकता के आधार पर प्रेषित मांग के अनुरूप उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की आपूर्ति करायेगा जो हाई स्कूल पास हों तथा दो वर्ष का आर्मी टैक्निकल कोर्स धारित करते हों ।

2. मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण इत्यादि कार्यों हेतु कार्मिक की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी तथा वह शारीरिक/मानसिक रूप से स्वस्थ एवं फील्ड कार्य करने में सक्षम होना चाहिये । उपंनल द्वारा कार्मिकों को उपाकालि में कार्योजन हेतु प्रेषित करते समय उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपने पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना होगा ।

3. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कार्योजित व्यक्तियों में से यदि कोई व्यक्ति कारपोरेशन कार्य हेतु उपयुक्त नहीं पाय जाता है अथवा अवांछनीय कार्यों में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी तैनाती समाप्त करते हुए व्यक्ति को उक्त संस्था को वापस कर दिया जायेगा ।

4. इन कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश एवं तीन राष्ट्रीय अवकाश बिना किसी कटौती के देय होंगे।

5. इन अनुबन्धित व्यक्तियों को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सम्बन्धित कार्यालय द्वारा समय–समय पर आदेशित निम्नलिखित विभिन्न कार्य करने होंगे ।

क– मीटर पर मीटर रीडिंग कार्ड लगाने, उस पर मीटर रीडिंग व उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि के संक्षिप्त हस्ताक्षर प्रत्येक रीडिंग के समय लेने होंगे । इसी प्रकार मीटर रीडिंग वाइंडर पर उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि के संक्षिप्त हस्ताक्षर प्रत्येक रीडिंग के समय लेने होंगे ।

ख– प्रत्येक माह ली गई रीडिंग को निर्धारित तिथि से पूर्व मीटर ब्लैंक में स्पष्ट रूप से अंकित करना

ग– जहाँ वितरक ट्रांसफॉरमर पर मीटर लगे हैं उनकी रीडिंग लेकर रीडिंग वाइंडर में अंकित करना

घ– बन्द/खराब/जले एवं नये स्थापित मीटरों का मासिक विवरण बनाकर खण्ड/उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

ङ– मीटर बॉडी सील, टी पी सील क्षतिग्रस्त होने अथवा मीटर से पूर्व सर्विस केबल कटी होने की दशा में लिखित सूचना खण्ड/उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

च– विच्छेदित संयोजनों का विवरण प्राप्त करना एवं साइट पर चैक कर रिपोर्ट देना ।

छ– बिना मीटर व अवैधानिक रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में तुरन्त सूचना खण्ड/उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

ज– उपभोक्ताओं को ससमय बिल उपलब्ध कराकर उनके हस्ताक्षर, दिनांक व समय बिल रजिस्टर में प्राप्त कर रजिस्टर प्रत्येक माह खण्ड/उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

झ– बिल में अंकित पता गलत होने की दशा में उपभोक्ता से इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र लेकर खण्ड/उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

ञ– जो बिल उपभोक्ताओं तक ससमय नहीं पहुँच पाये उनका विवरण स्पष्ट कारण सहित उपलब्ध कराना

ट– जिन उपभोक्ताओं के बिल नहीं बन रहे हों उनका विवरण उपलब्ध कराना ।

ठ– गलत रीडिंग की शिकायत पर दुबारा रीडिंग लेना । जिन परिसरों के बन्द होने के कारण पिछले दो चक्रों से रीडिंग नहीं ली गई हो वहाँ पर कारपोरेशन के नियमानुसार कार्यवाही कर सूचना खण्ड/उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर उपाकालि के अधिकारियों द्वारा अन्य आंवटित कार्यों का भी निर्वहन करना होगा ।

Nk

क्रमशः..3

6. यह अनुबन्धित कार्मिक किसी कर्मचारी यूनियन के सदस्य नहीं बन सकेंगे और न ही प्रबन्धन एवं कर्मचारियों के किसी विवाद में भाग ले सकेंगे ।

7. उपनल द्वारा कार्योजित कार्मिक कार्यक्षेत्र में कार्य के समय अपनी निर्धारित वर्दी में होंगे जिस पर कार्मिक की नाम पट्टिका लगी होनी आवश्यक है । ऐसे कार्मिक निर्धारित वर्दी एवं परिचय पत्र के अभाव में किसी उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगें । प्रश्नगत कार्मिक किसी भी दशा में उपभोक्ता से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं करेंगें ।

8. उपनल द्वारा कार्योजित कार्मिकों का सम्पूर्ण विवरण जैसे – नाम, पिता का नाम, स्थायी/ स्थानीय पता नवीनतम रंगीन फोटो के साथ सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड में रखना आवश्यकीय होगा ।

9. उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को अनुबन्ध के अनुरूप रु0 6981/–प्रतिमाह प्रति कार्मिक देय होंगे जिसका विवरण निम्नवत् है ।

Sl.No.	Items	Amount in Rs.
1	Pay + VDA (including EPF/Insurance/Medical/Ex-gratia Payment /Gratuity/Terminal Benefits /Bonus etc.)	5700
2	Service Charge @ 9%	513
3	Sum Total (1+2)	6213
4	Service Tax @ 12.36% on (3)	768
	Total Amount payable to UPSUL (3+4)	*6981*

10. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा उपरोक्त धनराशि में से EPF/Insurance /Medical/Ex-gratia payment/ESI इत्यादि की अनिवार्य कटौती कर शेष धनराशि अनुबन्धित कर्मचारी को उपलब्ध कराई जायेगी ।

11. उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में किये गये कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप देय किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति (Compensation) का उत्तरदायित्व पूर्णतया उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 का होगा ।

12. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से प्रश्नगत् कार्योजित कार्मिकों के सम्बन्ध में Employees Provident Fund के अन्तर्गत किसी भी देय या Liability तथा किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप Workmen Compensation Act के अन्तर्गत देय Claim का समस्त उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याणं निगम लि0 का होगा ।

13. उपरोक्तानुसार कार्योजित कार्मिकों की संख्या उपरोक्त तालिका में खण्डवार दर्शाई गई संख्या से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी ।

14. इन अनुबन्धित कार्मिकों को कारपोरेशन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन का कोई अधिकार नहीं होगा ।

15. अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण सम्बन्धी कार्यो की समीक्षा की जायेगी तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले कार्मिकों की निरन्तर प्रतिस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

क्रमशः..4

6- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता प्रत्येक माह की दिनांक 4 तक उपनल के माध्यम से कार्योजित प्रश्नगत कार्मिकों की पिछले माह की अपने-अपने खण्ड की समेकित (Consolidated) उपस्थिति फैक्स के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेगें । खण्ड से प्रश्नगत् कार्मिकों का उपस्थिति विवरण प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० दिनांक 6 तक प्रश्नगत् कार्मिकों का खण्डवार बीजक एवं उपस्थिति विवरण की प्रतिलिपि सीधे उपमहाप्रबन्धक (वित्त), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उपाकालि, ऊर्जा भवन,देहरादून को उपलब्ध करायेंगे । उपरोक्त बीजक प्राप्त होने पर उपमहाप्रबन्धक (वित्त) तत्काल इन कार्मिकों से सम्बन्धित बीजक का भुगतान सीधे उपनल को करायेंगें तथा किये गये भुगतान को खण्डवार Debit भी करायेंगे तथा इसके साथ-साथ वे उपनल से प्राप्त बीजक की प्रतिलिपि भी सम्बन्धित खण्ड को उपलब्ध करायेंगे ।

उपरोक्त कम में निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) अपने खण्ड में आवश्यकतानुरूप उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अधिकतम् संख्या तक कार्मिकों को कार्योजित करने के लिए अपने आदेश सीधे उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० को निम्नलिखित पते पर पारित करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०
स्टेशन सब एरिया कैन्टीन
देहरादून कैन्ट, देहरादून, दूरभाष सं० : 0135-2754041

कृपया तद्नुसार उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये अपने क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को निदेशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(डॉ० पी० सी० जोशी)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी

पत्रांक : निदेशक (मा०सं०)/कै०एफ०-33 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये खण्डों के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं से स्पष्ट मांग (Requirement) प्राप्त होने के उपरान्त ही मांग के अनुरूप कार्मिकों को सम्बन्धित खण्डों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा प्रश्नगत् कार्य हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के मध्य उपरोक्तानुसार ससमय अनुबन्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
2. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (परिचालन)/वित्त/मानव संसाधन/परियोजना, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, उपाकालि ।
4. उपरोक्त तालिकानुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि ।
5. उपमहाप्रबन्धक, वित्त, (मुख्यालय), गढ़वाल/पर्वतीय क्षेत्र, देहरादून/हल्द्वानी ।

(डॉ० पी० सी० जोशी)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी

संख्याः– ५१५ / XVII-5 / 16 / 09(17) / 2004

18

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

(vi) **समस्त विभागाध्यक्ष**
उत्तराखण्ड।

(v) **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
(उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून ०१ जून, 2016

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–323 / XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12.06.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समस्त शासकीय विभागों / प्रतिष्ठानों / संस्थानों / निगमों / स्थानीय निकायों एवं स्वात्तशासी संस्थानों आदि में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही प्रायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों / निगमों आदि में प्रायोजित किया जायेगा। उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा इसका कोई प्रभाव उपनल द्वारा पूर्व में प्रायोजित कर्मियों पर नही पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मियों के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– (1) / XVII-5 / 16–09(17)04 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

GO UPNAL 2016

(19)

संख्या:– 685 / XVII-5 / 16 / 09(17) / 2004

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
(उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून :दिनांक 05 जुलाई 2016

विषय:–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–595 / XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों / निगमों में प्रायोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में विभागीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में विभागीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किया जाय। शासनादेश संख्या–595 / XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्राविधान पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:– (1) / XVII-5 / 16–09(17)04: तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/(S-IV)/संविदा दिनांक : 11/03/2024

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2)/जानपद
समस्त महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
....

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–311/XVII-C-1/2024-09(17)/2004-TC-2 दिनांक 26 फरवरी, 2024 की छायाप्रति, प्रबन्ध निदेशक, महोदय उ0पा0का0लि0 के अनुमोदन के अनुपालन में आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक :– 877 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/(S-IV)/संविदा/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर स्तर–1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

SOLW-MISC/36/2022-XVII-C-1-Soldier Welfare Department
58285/2024/Soldier Welfare Section
/193582/2024

(21)

संख्या 311 /XVII-C-1/2024-09(17)/2004-TC-2

No. 1271 / MD A-3 Dt. 26/02/2024 ED (HR)

Pl. take cognizance of this letter to arrange the needful. 26/2/24 SO to MD

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2024

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 10 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या–735/ XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय का पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	मानदेय / कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	BASIC WAGES	9187	10571	11737	13057	39171
2	GRATUTY 4.81% OF SER NO. 1	442	508	565	628	0
3	HOUSE ALLOWANCE 10%OF SER NO. 01	919	1057	1174	1306	0
4	CLOTHING ALLOWANCE 10%OF SER NO. 01	919	1057	1174	1306	0
5	BONUS 8.33 % OF RS 7000	583	583	583	583	0
6	TOTAL (SER NO. 1 TO 5)	12050	13776	15233	16880	39171
7	EPF 13% OF SER NO. 1 (EMPLOYER SHARE)	1194	1374	1526	1697	0
8	ESIC 3.25% OF SER NO. 6 (EMPLOYER SHARE), WHERE APPLICABLE	392	448	495	549	0
9	TOTAL (SER NO. 6 +7+8)	13636	15598	17254	19126	39171

SPO-II

डायरी सं. 1386
दिनांक 27/02/24

Recd on 28/02/24

(22)

STATUTORY DEDUCTIONS						
10	EPF 13 %OF SER NO. 1 (EMPLOYER SHARE)	1194	1374	1526	1697	0
11	ESIC 3.25% OF SER NO. 6 (EMPLOYER SHARE), WHERE APPLICABLE)	392	448	495	549	0
12	EPF 12% OF SER NO. 1 (EMPLOYEE,S SHARE)	1102	1269	1408	1567	0
13	ESIC 0.75% OF SER No.6 (EMPLOYEE SHARE) WHERE APPLICABLE	90	103	114	127	0
14	TOTAL DEDUCTIONS (SER NO 10+11+12+13)	2778	3194	3543	3940	0
15	NET IN HAND TO EMPLOYEE (SER NO 9-14)	10858	12404	13711	15186	39171
16	LEAVE RELIEF 28.98% OF SER NO. 9	0	0	0	0	0
17	SERVICE CHARGE 2.5% OF SER NO. 9	341	390	431	478	979
18	TOTAL SER NO. (9 + 17)	13977	15988	17685	19604	40150
19	GST 18% OF SER NO. 18	2516	2878	3183	3529	7227
20	TOTAL PAYABLE BY PRINCIPAL EMPLOYER S.N. (18+19)	16493	18866	20868	23133	47377

2. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

3. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

4. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी0एस0टी0 (जी0एस0टी0 एक्ट) के मुताबिक देय होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09 (17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या–640/ XVII-5/ 2020-09(26)/2014(TC), दिनांक 10 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश संख्या–493/XVII-C-1/ 2021-09(17)/ 2004(TC-2), दिनांक 12 मई, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को देय अवकाश के संबंध में शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09 (17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 व शासनादेश संख्या–1187/XVII-5/17-09(30)/2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या–735/XVII-5/2020-09(17)/2004TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 व शासनादेश संख्या–190(1)/XXVII(7)/34(1)/2009, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या–156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23)

7. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–735/XVII-5/2020-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 21 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–I/193415/2024, दिनांक 23 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 26-02-2024 ...47:31
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 311 (1)/XVII-5/2024-09(17)2004-TC-2 ; तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,
Signed by Nirmal Kumar
Date: 26-02-2024 13:49:36
(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक— निदे0 (मा0सं0)/उपाकालि/अनु–एच (संविदा) दिनांक : 20/05/2023

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2)/
समस्त महाप्रबन्धक (वित्त),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
....

विषय :— **उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 654/XVII-C-1/2023-9(17)/2004टी0सी0–2 दिनांक 10–05–2023 की छायाप्रति, प्रबन्ध निदेशक, महोदय, उ0पा0का0लि0 के अनुमोदन दिनांक 18–05–2023 के उपरान्त आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांक :– 1672 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु–एच (संविदा)/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/वित्त/परियोजना) उपाकालि, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

No. 3087 / MD/ A-3 Dt. 11/05/2023

संख्या : 654/ XVII-C-1 / 2023–9(17) / 2004टी0सी0–2

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

GM (HR)

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2 मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।

3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5 प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

Sh. Rajesh, SPO

S.E.S. to MD

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : मई, 2023

विषय :– उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 1929 / XVII-C-1 / 2021–9(17) / 2004 टी0सी0–2 दिनांक 06.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।

2– मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 06.01.2022 के प्रस्तर–1 में अंकित तालिका को संशोधित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह देय "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को निम्नानुसार भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क.सं.	विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि
1	कार्मिकों को देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	रूपये 4,800.00	रूपये 5,800.00
2	ई0एस0आई0 3.25 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय)	रूपये 156.00	रूपये 189.00
3	योग (क.सं. 1 & 2)	रूपये 4,956.00	रूपये 5,989.00
4	सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत (क.सं. 3 का)	रूपये 124.00	रूपये 150.00
5	योग (क.सं. 3 & 4)	रूपये 5,080.00	रूपये 6,139.00
6	G.S.T. 18 प्रतिशत (क.सं. 5 का)	रूपये 914.00	रूपये 1,105.00
7	मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि का योग (क. सं. 5 & 6 का)	रूपये 5,994.00	रूपये 7,244.00

3 – शासनादेश संख्या–1929 दिनांक 06.01.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त के शेष प्रतिबंध / शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

डायरी सं० 2978
दिनांक 12/05/2023

26

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या–I/118063/2023(Computer No. 16329) दिनांक 28.04.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 10-05-2023 12:44:30

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : / XVII-C-1 / 2023–9(17) / 2004टी0सी0–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 वरिष्ठ निजी सचिव, सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3 वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कौलागढ़, देहरादून।
5 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–1, 02 एवं 03, उत्तराखण्ड शासन।
7 अनुभाग अधिकारी, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 10/05/2023 06:11 PM

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

27

पत्रांक. 3255 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक : 5/10/2021

कार्यालय–ज्ञापन

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उपनल के माध्यम से कार्योजित आउटसोंसिंग कार्मिकों को उ0पा0का0लि0 की निदेशक मण्डल की 99 वीं बैठक दिनांक 23–09–2021 के एजेण्डा संख्या 99.07 में पारित प्रस्ताव में "ऊर्जा क्षेत्र में उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का कार्य विशेष प्रकृति का होने" को दृष्टिगत रखते हुये उपनल कार्मिकों को विशेष ऊर्जा भत्ता निम्नवत् श्रेणीवार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति के आदेश किये जाते हैः–

क0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	विशेष ऊर्जा भत्ता (प्रतिमाह)
01	*02*	*03*
01	समूह 'ख'	रू0 1000.00
02	समूह 'ग'	रू0 800.00
03	समूह 'ग' (अर्द्ध0कु0)	रू0 700.00
04	समूह 'घ'	रू0 600.00

* विशेष ऊर्जा भत्ता पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–3255 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपनल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/मा0सं0/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. संयोजक, उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)(प्र0)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2763901 फैक्सः 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771

28

1

उत्तराखण्ड पावर [redacted]रेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा   दिनांक : 27/10/2021

शुद्धि पत्र

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उपनल के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्सिंग कार्मिकों को उ0पा0का0लि0 की निदेशक मण्डल की 99 वीं बैठक दिनांक 23–09–2021 के एजेण्डा संख्या 99.07 में पारित प्रस्ताव में "ऊर्जा क्षेत्र में उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का कार्य विशेष प्रकृति का होने" को दृष्टिगत रखते हुये उपनल कार्मिकों को विशेष ऊर्जा भत्ता निम्नवत् श्रेणीवार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति के आदेश किये जाते हैं:– (उक्त विषयक पूर्व में निर्गत आदेश सं0 3255 दिनाक 05.10.2021 निम्नानुसार पढ़ा जाए)

क0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	विशेष ऊर्जा भत्ता (प्रतिमाह)
01	02	03
01	समूह 'ख' (उच्च कुशल)	रू0 1000.00
02	समूह 'ग' (कुशल)	रू0 800.00
03	समूह 'ग' (अर्द्ध0कु0)	रू0 700.00
04	समूह 'घ' (अकुशल)	रू0 600.00

* विशेष ऊर्जा भत्ता पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :– 3588 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपनल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/मा0सं0/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II), उपाकालि, ...।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)(प्र0)

28(I)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक —अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-IV/संविदा दिनांक : 23/10/2024

कार्यालय—ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशकों की समिति (COD) की संस्तुति पर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में एवं उपाकालि के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर (Post-Facto) अनुमोदन की प्रत्याशा में, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों को पूर्व में जारी कारपोरेशन ज्ञाप 3255/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक 05—10—2021 एवं आदेश संख्या 3488/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक 22—10—2021 के कम में **"विशेष ऊर्जा भत्ते"** की दरों में निम्नानुसार बढोत्तरी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	पूर्व में देय विशेष ऊर्जा भत्ता (प्रतिमाह)	बढ़ोत्तरी (प्रतिमाह)	विशेष ऊर्जा भत्ता की दरें बढोत्तरी पर (प्रतिमाह)
1	समूह 'ख' (उच्च कुशल)	रू0 1000 प्रतिमाह	रू0 350	रू0 1350
2	समूह 'ग' (कुशल)	रू0 800 प्रतिमाह	रू0 300	रू0 1100
3	समूह 'ग' (अर्द्ध कुशल)	रू0 700 प्रतिमाह	रू0 250	रू0 950
4	समूह 'घ' (अकुशल)	रू0 600 प्रतिमाह	रू0 200	रू0 800

* विशेष ऊर्जा भत्ता पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगें।

अध्यक्षा, उपाकालि

पत्रांक :— 4300 —अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ S-IV/संविदा /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, अध्यक्षा महोदया, उपाकालि, एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), उ0पा0का0लि0, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
6. समस्त महाप्रबन्धक/(वित्त), उपाकालि, ...।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक : 5/10/2021

कार्यालय–ज्ञापन

एतद्द्वारा उ0पा0का0लि0 की निदेशक मण्डल की 99 वीं बैठक दिनांक 23–09–2021 के एजेण्डा संख्या 99.09 में पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में बाह्य एजेन्सी (उपनल एवं एस0एच0जी0) के माध्यम से संविदा पर कार्योजित आउटसोर्सिंग सभी तृतीय श्रेणी के परिचालकीय– टी0जी0–II/एस0एस0ओ0 एवं परिचालकीय– चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को जो 33 के0वी0 विद्युत उपस्थानों में पाली (Shift) में कार्य कर रहे हैं तथा रात्रि 'पाली (Shift) भत्ता' हेतु निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करते है, को 'पाली (Shift) भत्ता अनुमन्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	बाह्य एजेन्सी (उपनल एवं एस0एच0जी0) के परिचालकीय कर्मचारियों की श्रेणी	पाली भत्तें की प्रस्तावित दरें (रू0 प्रतिमाह)	अनुपस्थिति की स्थिति में कटौती (रू0 प्रति पाली)
1.	तृतीय श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	585/–	75/–
2.	चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	360/–	45/–

* पाली भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगें। कारपोरेशन में पाली भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–3256 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपनल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/मा0सं0/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. संयोजक, उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक(मा0सं0)(प्र0)

29(A)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक —अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-IV/संविदा दिनांक : 23/10/2024

कार्यालय—ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशकों की समिति (COD) की संस्तुति पर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में एवं उपाकालि के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर (Post-Facto) अनुमोदन की प्रत्याशा में, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों को पूर्व में जारी कारपोरेशन ज्ञाप संख्या 3256/ निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक 05—10—2021 के कम में "रात्रि पाली भत्ते" की दरों में निम्नानुसार बढोत्तरी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र0सं0	बाह्य एजेन्सी (उपनल) के परिचालकीय कर्मचारियों की श्रेणी	पूर्व में देय पाली भत्ते की दरें (रू0 प्रतिमाह)	बढ़ोत्तरी (रू0 प्रतिमाह)	पाली भत्ते की दरें बढोत्तरी पर (रू0 प्रतिमाह)	अनुपस्थिति की स्थिति में कटौती (रू0 प्रति पाली)
1.	तृतीय श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	रू0 585/—	रू0 215 /—	रू0 800/—	रू0 100/—
2.	चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	रू0 360/—	रू0 140 /—	रू0 500/—	रू0 60/—

* पाली भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगें। कारपोरेशन में पाली भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

अध्यक्षा, उपाकालि

पत्रांक :— 4301 —अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ S-IV/संविदा /तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, अध्यक्षा महोदया, उपाकालि एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), उ0पा0का0लि0, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
6. समस्त महाप्रबन्धक/(वित्त), उपाकालि, ...।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून—248001, दूरभाष 0135—2763672—75 एक्स0 न0—130 फैक्स 91—135—2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Tel. 0135-2763672 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2769771

30

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501 FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन,
काँवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2767501 फैक्स: 0135–2769771

पत्रांक : –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अवकाश राहत दिनांक : 28--06–2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को अवकाश राहत अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2017 को सम्पन्न 79वीं बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 79.36 पर निदेशक मण्डल द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में कारपोरेशन पत्रांक 3967/निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन से शासन स्तर से मार्गदर्शन प्रदान कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 474/I(2)/2017/06(2)–72/2016 दिनांक 08.05.2017 के माध्यम से निम्नवत् निर्देशित किया है :–

"शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज (सैनिक) कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 323/XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12 जून, 2013 का प्रस्तर–07 एंव 08 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों पर भी लागू होगा"।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 7180–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ आउटसोर्स मानव शक्ति तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्सीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
2. समस्त निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, स्टेशन सब्र एरिया कैन्टीन, देहरादून कैन्ट. देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उपाकालि, ...।
5. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उपाकालि, ...।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
10. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रो0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त अनुभाग/प्रभारी, कार्मिक विभाग, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
12. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

28/6/17
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

31

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/(S-IV)/संविदा दिनांक : 08/02/2024

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2)/जानपद
समस्त महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,

....

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को विभिन्न अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या–156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, देहरादून दिनांक 25 सितम्बर, 2023, द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को विभिन्न अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त के कम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को विभिन्न अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या–156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, देहरादून दिनांक 25 सितम्बर, 2023 की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार, कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक :– 510 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/(S-IV)/संविदा/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर स्तर–1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्या– /XXVII(7)/E-41734/2022
देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:–राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को विभिन्न अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन हाल के वर्षों में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/ तदर्थ/नियत वेतन पर कार्यरत/नियोजित कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है। यद्यपि नियमित कार्मिकों तथा संविदा आदि पर अस्थायी रूप से नियोजित कार्मिकों के कार्य दायित्व/प्रास्थिति में भिन्नता है तथापि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उक्तानुसार नियोजित कार्मिकों के हित में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से उन्हें कतिपय अवकाश अनुमन्य किये गये हैं।

उपर्युक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर कार्यरत/नियोजित कर्मचारियों को जन्म के समय जच्चा–बच्चा की देखभाल किये जाने तथा उनके बच्चों की बेहतर देखभाल हेतु पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा प्रदान की जाय। तद्नुसार संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को निम्नलिखित अवकाश प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पितृत्व अवकाश (Paternity Leave):-

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित पुरूष सेवकों, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, को उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथिं से 15 दिन पूर्व अथवा बच्चा पैदा होने की तिथि से छः माह तक, सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा 15 दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा:–

(i) 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे, अवकाश पर जाने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जायेगा।
(ii) पितृत्व अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है।
(iii)यदि पितृत्व अवकाश निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार का अवकाश समाप्त हुआ, समझा जायेगा।
(iv) सामान्यतः पितृत्व अवकाश किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave):-
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों/एकल पुरूष

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 25/09/2023 06:17 PM

सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा:—

(i) एकल पुरूष सेवक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष को सम्मिलित किया जायेगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
(iii) बाल्य देखभाल अवकाश एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन की अवधि का अनुमन्य होगा। कलेण्डर वर्ष में बाल्य देखभाल अवकाश का उपभोग न किये जाने की स्थिति में वर्ष की समाप्ति पर बाल्य देखभाल अवकाश अग्रेनीत नहीं किया जायेगा अर्थात निर्दिष्ट अवधि के भीतर बाल्य देखभाल अवकाश नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार का अवकाश समाप्त हुआ, समझा जायेगा।
(iv) एक बार में 05 दिनों से कम अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पात्र महिला/पुरूष सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।
(v) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिक बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(vi) बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।
(vii) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(viii) बाल्य देखभाल अवकाश न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले नियोजित कार्मिकों को ही अनुमन्य होगा।

(3) <u>बाल—दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave):-</u>

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों/एकल पुरूष सेवकों जो कम से कम 03 वर्ष से विभाग में कार्यरत हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लिया गया हो, को शिशु के गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन के बाल—दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किया जायेगा:—

(i) महिला सेवकों जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों, को ही बाल—दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य होगा।
(ii) एकल पुरूष सेवक, जिनकी कोई जीवित सन्तान न हो एवं जिनके द्वारा 'बालक शिशु' को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया गया हो, को ही बाल—दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान किया जायेगा।
(iii) एकल पुरूष सेवक में अविवाहित/ विधुर/तलाकशुदा पुरूष को सम्मिलित किया जायेगा।
(iv) बाल—दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की ही अवधि हेतु (अधिकतम 120 दिनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।
(v) इस अवकाश अवधि के दौरान महिला सेवक/एकल पुरूष सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होगा।

(34)

23 बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा–प्रक्रिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) छः माह से अधिक नहीं होगी।

i) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2022 (समय–समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अन्तर्गत केवल वैधानिक (Valid adoption) रूप से गोद लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

ii) उक्त अवकाश 'मातृत्व अवकाश' की भांति स्वीकृत किया जायेगा।

) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश को अवकाश लेखे के नामे नहीं डाला जायेगा।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 25-09-2023 15:28:44

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–156931 (1)/XXVII(7)/E-41734/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
0. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
1. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून।
2. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 25-09-2023 17:42:27
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

I from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 25/09/2023 06:18 PM

5922 D-2
No....../ MD/ Dt.01/6/2018

सख्या-388/...

(35)

निदेशक (मा० सं०)

प्रेषक,

हरीश कुमार सागर,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

31/5/18

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

2 प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक // मई अप्रैल, 2018

विषयः- विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 111/XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :-यथोपरि

अनु० स० (का०) अनुपालन करें।

भवदीय,

(हरीश कुमार सागर)
अनु सचिव

डायरी सं० 4336
दिनांक 01/6/18

→ महाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्रभारी)
वरि०का०अधि०(औ०सं०/मा०सं०-I/II)
वरि० अधि० (मा०सं०)(पु०का०)
श्रीमति मीनाक्षी, सहा०अभि०
सु० कोमल, सहा०अभि०
सहा० लेखाधिकारी (मा०सं०)
श्री सुमित, का०अधि०
श्री राजेश, का०अधि०
श्री यशमोहन, का०अधि०(वि०श्रे०)
कैम्प कार्या०-निदे०(मा०सं०)
कृपया दि..............को चर्चा करें।
आवश्यक कार्यवाही करें।

निदेशक (मा०सं०) 4/6/18

Recd on 01/06/18
14/5/2018

C:\Documents and Settings\A\Desktop\cm rawat

संख्याः 111 /XXX(2)/2018-30(12)/2018

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 अप्रैल, 2018

विषयः विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 एवं अन्य सुसंगत अनुच्छेदों के अधीन गठित सुसंगत सेवानियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियमित नियुक्तियां किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। इससे इतर कतिपय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपकमों द्वारा विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालिक, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक आधार पर संविदा, कार्यप्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं सेवा प्रदाता संस्था (बाह्य स्रोत) के माध्यम से कतिपय व्यक्तियों को नियोजित किया जा रहा है।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त नियोजित व्यक्तियों अथवा वाहय स्रोत के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों को बिना व्यवधान के लम्बे समय तक रखे जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रायः "समान कार्य समान वेतन" के आधार पर राज्य के नियमित पदधारकों के समान वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है तथा इस आशय की याचिकायें भी समय–समय पर मा0 न्यायालयों में योजित की जा रही हैं। शासन के समक्ष ऐसे मामले आये हैं, जिनमें उक्त व्यक्तियों द्वारा श्रम न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके नियमित रूप से सेवायोजित कार्मिकों की भांति समान वेतनमान दिये जाने अथवा समकक्ष पदधारक के वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के आदेश प्राप्त किये गये हैं। इसी प्रकार विभाग/अधिष्ठान में पद सृजित न होने पर

37

भी उक्तानुसार नियोजित व्यक्तियों द्वारा भी समान प्रकृति का कार्य वेतनमान दिये जाने के आदेश प्राप्त कर लिए गये।

3. **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम बलराम साहू व अन्य के मामले में ए0आई0आर0 2003 सु0 कोर्ट 33, में व्यवस्था दी है कि दैनिक वेतन, अस्थायी अथवा आकस्मिक श्रमिक नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान (Pay Scale) पाने का हकदार नहीं है।** उक्त न्याय–निर्णय के कम में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 831/कार्मिक–2/2003 दिनांक 16 जून, 2003 में यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/नियत वेतन एवं वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्ति नियमित कर्मी की तरह समान वेतनमान पाने का हकदार नहीं है।

4. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1803/कार्मिक–2/2002 दिनांक 06 फरवरी, 2003 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/तदर्थ/वाह्यस्रोत से की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक सम्बन्धी निदेश जारी किए गये हैं।

5. उक्त के कम में यह स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय नियमों में वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है। दैनिक वेतन एवं बाह्य स्रोत पर तैनात व्यक्ति कोई पद धारण नहीं करता है बल्कि उनकी ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से विभागीय कार्य निस्तारण हेतु उनकी सेवायें ली जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी नियमित कर्मियों के साथ कोई समानता निर्धारित नहीं की जा सकती है। समान कार्य के लिये समान वेतनमान की मांग के लिये यह आवश्यक है कि जिस नियमित पदधारक के साथ तुलना की जा रही है उसके साथ पूर्ण समानता हो अर्थात पद की भर्ती प्रकिया, शैक्षिक योग्यता, अधिमानी अर्हता, कार्य दायित्व, राज्य सरकार द्वारा गठित चयन संस्था के माध्यम से (खुली प्रतिस्पर्धा) से चयन, कार्यावधि, समान योग्यता, आयु सीमा, चरित्र सत्यापन, वैवाहिक प्रास्थिति, राष्ट्रीयता, पद की गोपनीयता एवं संवेदनशीलता के प्रति उत्तरदायित्व आदि मापदण्डों की समानता हो। **इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–217 ऑफ 2013 स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के प्रस्तर–42 में 'समान कार्य समान वेतन' के निर्धारण हेतु कतिपय निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–**

42. All the judgments noticed in paragraphs 7 to 24 hereinabove, pertain to employees engaged on regular basis, who were claiming higher wages, under the principle of 'equal pay for equal work'. The claim raised by such employees was premised on the ground, that the duties and responsibilities rendered by them, were against the same post for which a higher pay-scale was being

Re

allowed, in other Government departments. Or alternatively, their duties and responsibilities were the same, as of other posts with different designations, but they were placed in a lower scale. Having been painstakingly taken through the parameters laid down by this Court, wherein the principle of 'equal pay for equal work' was invoked and considered, it would be just and appropriate, to delineate the parameters laid down by this Court. In recording the said parameters, we have also adverted to some other judgments pertaining to temporary employees (also dealt with, in the instant judgment), wherein also, this Court had the occasion to express the legal position with reference to the principle of'equal pay for equal work'. Our consideration, has led us to the following deductions:-

(i) The 'onus of proof', of parity in the duties and responsibilities of the subject post with the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', lies on the person who claims it. He who approaches the Court has to establish, that the subject post occupied by him, requires him to discharge equal work of equal value, as the reference post (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10, Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15, the Steel Authority of India Limited case16, and the National Aluminum Company Limited case18).

(ii) The mere fact that the subject post occupied by the claimant, is in a"different department" vis-a-vis the reference post, does not have any bearing on the determination of a claim, under the principle of 'equal pay for equal work'. Persons discharging identical duties, cannot be treated differently, in the matter of their pay, merely because they belong to different departments of Government (see – the Randhir Singh case1, and the D.S. Nakara case2).

(iii) The principle of 'equal pay for equal work', applies to cases of unequal scales of pay, based on no classification or irrational classification (see – the Randhir Singh case1). For equal pay, the concerned employees with whom equation is sought, should be performing work, which besides being functionally equal, should be of the same quality and sensitivity (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3, the Mewa Ram Kanojia case5, the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6 and the S.C. Chandra case12).

(iv) Persons holding the same rank/designation (in different departments), but having dissimilar powers, duties and responsibilities, can be placed in different scales of pay, and cannot claim the benefit of the principle of 'equal pay for equal work' (see – the Randhir Singh case1, State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9, and the Hukum Chand Gupta case17). Therefore, the principle would not be automatically invoked, merely because the subject and reference posts have the same nomenclature.

(v) In determining equality of functions and responsibilities, under the principle of 'equal pay for equal work', it is necessary to keep in mind, that the duties of the two posts should be of equal sensitivity, and also, qualitatively similar. Differentiation of pay-scales for posts with difference in degree of responsibility, reliability and confidentiality, would fall within the realm of valid classification, and therefore, pay differentiation would be legitimate and permissible (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3 and the State Bank of India case8). The nature of work of the subject post should be the same and not less onerous than the reference post. Even the volume of work should be the same. And so also, the level of responsibility. If these parameters are not met, parity cannot be claimed under the principle of 'equal pay for equal work' (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4, and the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6).

(vi) For placement in a regular pay-scale, the claimant has to be a regular appointee. The claimant should have been selected, on the basis of a regular process of recruitment. An employee appointed on a temporary basis, cannot claim to be placed in the regular pay-scale (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10).

(vii) Persons performing the same or similar functions, duties and responsibilities, can also be placed in different pay-scales. Such as -'selection grade', in the same post. But this difference must emerge out of a legitimate foundation, such as – merit, or seniority, or some other relevant criteria (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4).

(viii) If the qualifications for recruitment to the subject post vis-a-vis the reference post are different, it may be difficult to conclude, that the duties and responsibilities of the posts are qualitatively similar or comparable (see – the

Mewa Ram Kanojia case5, and Government of W.B. v. Tarun K. Roy11). In such a cause, the principle of 'equal pay for equal work', cannot be invoked.

(ix) The reference post, with which parity is claimed, under the principle of 'equal pay for equal work', has to be at the same hierarchy in the service, as the subject post. Pay-scales of posts may be different, if the hierarchy of the posts in question, and their channels of promotion, are different. Even if the duties and responsibilities are same, parity would not be permissible, as against a superior post, such as a promotional post (see - Union of India v. Pradip Kumar Dey7, and the Hukum Chand Guptacase17).

(x) A comparison between the subject post and the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be made, where the subject post and the reference post are in different establishments, having a different management. Or even, where the establishments are in different geographical locations, though owned by the same master (see – the Harbans Lal case23). Persons engaged differently, and being paid out of different funds, would not be entitled to pay parity (see - Official Liquidator v. Dayanand13).

(xi) Different pay-scales, in certain eventualities, would be permissible even for posts clubbed together at the same hierarchy in the cadre. As for instance, if the duties and responsibilities of one of the posts are more onerous, or are exposed to higher nature of operational work/risk, the principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable. And also when, the reference post includes the responsibility to take crucial decisions, and that is not so for the subject post (see – the State Bank of India case8).

(xii) The priority given to different types of posts, under the prevailing policies of the Government, can also be a relevant factor for placing different posts under different pay-scales. Herein also, the principle of'equal pay for equal work' would not be applicable (see - State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9).

(xiii) The parity in pay, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be claimed, merely on the ground, that at an earlier point of time, the subject post and the reference post, were placed in the same pay-scale. The principle of 'equal pay for equal work' is applicable only when it is shown, that the incumbents of the subject post and the reference post, discharge similar

duties and responsibilities (see - State of West Bengal v. West Bengal Minimum Wages Inspectors Association14).

(xiv) For parity in pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', equation in the nature of duties, is of paramount importance. If the principal nature of duties of one post is teaching, whereas that of the other is non-teaching, the principle would not be applicable. If the dominant nature of duties of one post is of control and management, whereas the subject post has no such duties, the principle would not be applicable. Likewise, if the central nature of duties of one post is of quality control, whereas the subject post has minimal duties of quality control, the principle would not be applicable (see - Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15).

(xv) There can be a valid classification in the matter of pay-scales, between employees even holding posts with the same nomenclature i.e., between those discharging duties at the headquarters, and others working at the institutional/sub-office level (see – the Hukum Chand Gupta case17), when the duties are qualitatively dissimilar.

(xvi) The principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable, where a differential higher pay-scale is extended to persons discharging the same duties and holding the same designation, with the objective of ameliorating stagnation, or on account of lack of promotional avenues (see– the Hukum Chand Gupta case17).

(xvii) Where there is no comparison between one set of employees of one organization, and another set of employees of a different organization, there can be no question of equation of pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', even if two organizations have a common employer. Likewise, if the management and control of two organizations, is with different entities, which are independent of one another, the principle of 'equal pay for equal work' would not apply (see – the S.C. Chandra case12, and the National Aluminum Company Limited case18).

6. इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत् स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये हैं :–

(1) स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम सीनियर बोकेशनल स्टॉफ मास्टर एसोसियेसन एवं अन्य सिविल अपील संख्या 632/2008 दिनांक 18.08.2017

(2) स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य बनाम जे0पी0 चौरसिया एवं अन्य (1989) 1 एससीसी 121

(3) श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (1994) 2 एससीसी 521

(4) पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरूण के0 राय एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 347

7. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के कम में सभी विभागों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8. मा० न्यायालयों द्वारा 'समान कार्य समान वेतन' निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर स्थापित मानदण्डों के आलोक में विश्लेषण करने पर नियमित कार्मिकों एवं संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्तियों की प्रास्थिति में सम्प्रति निम्नवत् भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित होती है :-

क्र. सं.	निर्धारित मानक	नियमित कार्मिक हेतु निर्धारित मापदण्ड	संविदा/नियतवेतन/अंशकालिक/तदर्थ/कार्य-प्रभारित/दैनिक वेतन/वाह्यस्रोत से नियोजित व्यक्ति
1.	प्रास्थिति (Status)	संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित सुसंगत नियमावली के अधीन नियुक्त होने के कारण विधिक प्रास्थिति।	विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त न होने के कारण कोई विधिक प्रास्थिति नहीं है।
2.	भर्ती प्रक्रिया	सुसंगत सेवा नियमावली में वर्णित शैक्षिक अर्हता/आयु सीमा/राष्ट्रीयता/वैवाहिक प्रास्थिति/चरित्र आदि विषयक प्राविधानों के आलोक में विधिक संस्थाओं यथा चयन आयोग/चयन बोर्ड के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप अवसर की समानता के आधार पर विज्ञापन (Open Market) के माध्यम से विहित विधिक प्रक्रिया द्वारा भर्ती।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित व्यक्ति विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियोजित नहीं किये जाते है। आउटसोर्स आधारित नियोजन भी किसी आउटसोर्सिंग एजेन्सी या ठेकेदार जैसे तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जाता है। उक्त नियोजन किसी विज्ञापन अथवा खुली चयन प्रकिया के आधार पर नहीं किया जाता है। जो अवसर की समानता के अनुरूप नहीं है।
3.	सेवा की शर्तें	संविधान के अनुच्छेद 309 एवं संगत अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त अधिकारों	कोई प्राविधान नहीं है।

		के तहत निर्मित नियमावलियों में वर्णित सेवा की शर्तें।	
4.	परिवीक्षा काल	नियुक्ति/पदोन्नति होने पर सुसंगत नियमावली के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण करना अनिवार्य।	परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
5.	लियन/ स्थायीकरण	स्थाई पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने पर नियमित कार्मिक का लियन/स्थायीकरण की व्यवस्था उपबन्धित है।	कोई प्राविधान नहीं।
6.	नियोक्ता–कर्मचारी संबंध	नियोक्ता तथा नियमित कार्मिक के मध्य प्रत्यक्ष एवं विधिक सम्बन्ध होता है।	नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था के मध्य सम्बन्ध होता है। नियोजित व्यक्ति का संस्था से संबंध स्थापित होता है लेकिन नियोजित व्यक्ति का नियोक्ता से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।
7.	भुगतान की प्रकृति	जिस पद के सापेक्ष नियुक्ति होती है उस पद हेतु वित्तीय नियमों/शासन द्वारा निर्धारित वेतन/भत्ते।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों को भुगतान उनके अनुबन्ध में उल्लिखित धनराशि पारिश्रमिक/ मानदेय के रूप में तथा आउटसोर्स पर नियोजित व्यक्तियों को पारिश्रमिक/मजदूरी के रूप में तृतीय पक्ष के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
8.	उत्तरदायित्व	विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त होने के कारण अपने कार्यों एवं विभाग/संगठन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी।	कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।
9.	सेवाकाल	60 वर्ष की आयु तक सेवा अवधि।	अवधि निर्धारित नहीं।
10.	कार्य अवधि	सम्पूर्ण अवधि (24×7) सरकार के अधीन।	अधिकतम 08 घण्टे प्रतिदिन।
11.	दण्डात्मक कार्यवाही	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के प्राविधानों के लघु एवं वृहद दण्ड का प्राविधान।	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 से आच्छादित नहीं है।
12.	गोपनीयता	Official Secret Act, 1923 के अन्तर्गत गोपनीयता के प्रतिबद्ध।	कार्यों की गोपनीयता के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं।
13.	संवेदनशीलता	सर्वोच्च कानून (संविधान) के अन्तर्गत शासकीय कार्य जनहित को लक्षित करके किये जाते हैं, फलस्वरूप अपने कार्यों के माध्यम से जनहित	जनहित के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।

		के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य होते हैं।	
14.	सेवा की प्रकृति	पूर्णकालिक नियोजन	अंशकालिक अथवा कार्ययोजना विशेष तक नियोजन।
15.	Volume of Work	संगत नियमों में प्राविधानित।	कार्य निस्तारण हेतु सेवायें ली जाती है।
16.	नियमों का आच्छादन	राज्य सरकार के वित्तीय नियमों एवं सुसंगत सेवा नियमों से आच्छादित।	भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम अधिनियम या अन्य सुसंगत अधिनियम से आच्छादित।
17.	आरक्षण	नियमित नियुक्ति के समय राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित आरक्षण का अनिवार्यता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	----
18.	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन केवल नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को ही किया जा सकता है।	कोई वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किये जा सकते हैं।

9. उक्त प्रकार से प्रास्थिति में भिन्नता होने के कारण तदर्थ (Ad-hoc)/ संविदा (Contractual)/नियतवेतन (Fix pay)/अंशकालिक (Short term)/दैनिक वेतन (Daily wage)/कार्य–प्रभारित (Work charge), वाह्यस्रोत (Outsource) से नियोजित व्यक्तियों की नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों से समानता नहीं है इन आधारों तथा प्रास्थिति में भिन्नता के कारण उक्तानुसार नियोजित व्यक्ति 'समान कार्य समान वेतन' हेतु अर्ह नहीं है।

10. **मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमादेवी व अन्य (एआईआर 2006 एससी 1806) में सुसंगत नियमों से इतर की गई नियुक्तियों को अनियमित माना गया है।**

11. **रिट पिटीशन संख्या–814 (एस.एस)/2017 संजय कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 12.04.2018 में संविदा पर नियोजित उक्त कार्मिक के नियमितीकरण एवं 'समान कार्य समान वेतन' की मांग सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)**

12. कृपया ऊपरिउल्लिखित प्रकार के मामलों में तत्परता से यथोचित कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित निर्देशो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

(1) स्वीकृत पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवानियमावली के अनुरूप नियमित चयन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय।

(2) स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी भी दशा में संविदा/दैनिक वेतन/कार्य–प्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जांय। स्वीकृत पदों पर सुसंगत नियमावली से इतर की गयी नियुक्तियां शून्य मानी जायेंगी और **यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।**

(3) विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग की सहमति से कार्याधिक्य (Volume of work) के औचित्य के आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, बाहय स्रोत के माध्यम से केवल सेवाए ली जा सकती है। उक्त सम्बन्ध में नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के मध्य अनुबंध (Bond) निष्पादित किया जायेगा, न कि नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य, उक्त अनुबन्ध में ही दिये जाने वाले पारिश्रमिक एवं ली जाने वाली सेवा/कार्य का स्पष्ट उल्लेख हो।

(4) वाह्य स्रोत से जिन सेवाओं की मूल नियोक्ता को आवश्यकता हो, का सर्विस लेवल ऐग्रीमेन्ट, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मी का जॉब चार्ट सम्मिलित हो निर्मित किया जाय एवं तद्नुसार ही अनुबंन्ध पत्र निर्मित कर कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति से 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध (Bond) निष्पादित किया जाय। उक्त अनुबन्ध पत्र में ही पारिश्रमिक की दर और सेवावधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा पूर्व से नियोजित व्यक्ति के अनुबन्ध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रकिया अपनायी जायेगी।

(5) उक्त योज़ित व्यक्तियों को उनकी सेवाओ हेतु सैनिक कल्याण विभाग अथवा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाय। **किसी भी दशा में विभाग/संगठन द्वारा नियोजित व्यक्ति को सीधे भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें संवर्गीय पदनाम अथवा नियमित पदों के सापेक्ष नियोजन अथवा पद का वेतनमान (Pay Scale) दिया जायेगा।**

(6) **शासन की अनुमति से इतर किये जाने वाले ऐसे भुगतान/नियोजन की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।**

(7) यह भी स्पष्ट किया जाना है कि वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्व रहता है, दैनिक वेतन कर्मी, कार्य–प्रभारित एवं बाह्यस्रोत के माध्यम से योजित व्यक्ति, जिनकी सेवायें नियोक्ता द्वारा कार्य निष्पादन हेतु ली जा रही है, कोई पद धारण नहीं करते हैं और न ही उनकी प्रास्थिति नियमित कर्मियों की भांति होती है।

46

12. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नियमित पदधारकों के समान वेतनमान (Pay Scale) प्रदान करने के दावों, जो विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत हों, उनका इस शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में तत्परता से प्रतिवाद किया जाय। जहां आवश्यकता हो एवं समुचित आधार हो, ऐसे आदेशों के विरुद्ध सक्षम मा0 न्यायालय में अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने हेतु शासन की अनुमति यथाप्रक्रिया प्राप्त कर ली जाय।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्याः 325 /XXVII(7)/2018 दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1) /XXX(2)/2018-30(12)2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

47

संख्या : 379 / XXX(2)/2018/30(12)/2018

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर ,2021

विषय : विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/ तदर्थ एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–111/ XXX(2)/2018-30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 द्वारा विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। विभागों के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को नियोजित करने तथा पूर्व नियोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में समयवृद्धि सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 के प्रस्तर–12(2), 12(3) तथा 12(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"12(2) संरचनात्मक ढ़ांचे में सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदा/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/ नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जॉय। पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया से इतर संविदा आदि स्रोत से नियुक्ति किसी भी दशा में न की जाय। स्वीकृत पदों पर संगत नियमावली के प्राविधानों से इतर की गयी नियुक्तिया शून्य मानी जायेंगी और यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए ऐसे कार्मिक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।

12(3) उक्त प्रस्तर 12(2) में निहित प्राविधान के बावजूद यदि विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा अथवा आउटसोर्स एजेंसी (यथा उपनल, पी.आर.डी. अथवा निजी सेवा प्रदाता फर्म) के माध्यम से कार्मिक नियोजित किए गए हों तो निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :–

(क) विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यथासंभव शीघ्र नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा।

(ख) विभाग द्वारा सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष पूर्व में यदि कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से संविदा पर कार्मिक नियोजित किए गए हों तो पूर्व नियत संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा अवधि का विस्तार पूर्व में दिए जा रहे अन्तराल के साथ 01 वर्ष अथवा नियमित चयन की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(ग) जिन विभागों में केन्द्र पोषित अथवा बाह्य सहायतित परियोजनाएं संचालित हैं और योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित संरचनात्मक ढ़ाँचे में सृजित पदों को संविदा से ही भरे जाने का प्राविधान है, उन विभागों में इस प्रकार संविदा पर नियोजित कार्मिकों की संविदा अवधि का विस्तार परियोजना अवधि अथवा सम्यक अन्तराल के साथ संविदा अनुबन्ध में यथा निर्दिष्ट अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

48

परन्तु विभाग द्वारा परियोजना में सीनियर मैनेजमेंट स्तर के पदों को छोड़कर अन्य पद पर सीधी संविदा पर नियोजित कार्मिकों को शनैः–शनैः आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर्विस कांट्रैक्ट के तहत लिए जाने का प्रयास अवश्य किया जायेगा।

(घ) जिन विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत अन्तरिम व्यवस्था के रूप में आउटसोर्स एजेंसी (यथा उपनल, पी.आर.डी. अथवा निजी सेवा प्रदाता फर्म) के माध्यम से कार्मिक नियोजित किए गए हों, विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के साथ की गयी संविदा का विस्तार नियमित चयन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबन्ध अन्तर्गत नियत अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के साथ विभाग द्वारा न तो सीधे अनुबन्ध किया जायेगा और न ही उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान सीधे किया जायेगा, वरन् नियत प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के साथ ही अनुबन्ध करते हुए देय धनराशि का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी को ही किया जायेगा।

12(4) विभागीय आवश्यकतानुसार जिन सेवाओं की अधिप्राप्ति बाह्य स्रोत से किया जाना संभव/प्रस्तावित हो, उनके सम्बन्ध में आउटसोर्स एजेंसी का चयन नियत संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराये जाने के निमित्त करने के बजाए निर्दिष्ट सेवा का अपेक्षित स्तर (Service level) निर्धारित करते हुए अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार सेवाओं की अधिप्राप्ति विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। ऐसे चयन के उपरान्त चयनित आउटसोर्स एजेंसी के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जायेगा जिसमें आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियोजित किए जाने वाले कार्मिक का जॉब चार्ट, एजेंसी को देय पारिश्रमिक की दरें तथा सेवा अवधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा और तदनुसार निष्पादित अनुबन्ध के प्राविधानों में कोई विचलन अनुमन्य नहीं होगा।"

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ. एस. एस. संधु)
मुख्य सचिव।

संख्या : 379(1)/XXX(2)/2018/30(12)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

Scanned with CamScanner

Uttrakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta, Gabar Singh Bhawan,
Kanwali Road,Dehradun-248001
Tel: 91-0135-2763673-75

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन,
कॉवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 91–0135–2763672–75

पत्रांकः–..........................निदे0(मा0सं0) / उपाकालि /   दिनांकः–20/5/14

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशक मण्डल की 65वीं बैठक के बिन्दु–18 में लिये गये निर्णय के अनुसार उपाकालि में ई0एस0आई0 के क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र(Non ESI areas) में कार्यरत संविदा कर्मियों की कार्य के दौरान कार्यस्थल पर विद्युत दुर्घटना होने के फलस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति कार्मिक प्रति वर्ष उपनल द्वारा देय कुल चिकित्सा व्यय रू0 30,000.00(रूपया तीस हजार) के अतिरिक्त रू0 70,000.00(कुल रू0 30,000.00 +70,000.00=1,00,000.00) तक की अधिकतम सीमा तक होने वाले चिकित्सा व्यय का वहन उपाकालि द्वारा उपनल के माध्यम से किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः–4185 निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / अनु0का0जी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजि सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून
2. निजि सचिव, निदेशक(परिचालन / वित्त / परियोजना / मा0सं0) उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता(स्तर–I) उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून
4. मुख्य अभियन्ता(स्तर–II) उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून
5. उपमहाप्रबन्धक(वित्त) के0ले0का0 / आं0ले0का0 / आंतरिक सम्प्रेक्षा, उपाकालि, देहरादून / हल्द्वानी।
6. कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक(विधि / मा0सं0) उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, ...।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि,.....................................।
9. श्री सुरेन्द्र कुमार भाटिया, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उपाकालि, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून को कॉरपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका।

(शरद कृष्ण)
निदेशक(मा0सं0)

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 91-0135-2763901
Fax: 95-135-2769771
CIN :.U40109UR2001SGC025867

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कॉवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 91–0135–2763901
फैक्स: 95–135–2769771

पत्रांक –2133 –निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक – 01/03/17

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन में मानव शक्ति की कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष उपनल/पी0आर0डी0/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्षेत्रों/मण्डलों/खण्ड/विविध कार्यालयों में कार्योजित संविदा कर्मियों को अगामी वित्तीय वर्ष के लिये कार्य की आवश्यकतानुसार समय विस्तार कराना प्रत्येक क्षेत्र/मण्डल/खण्ड व अन्य विविध कार्यालयों द्वारा आवश्यक होता है।

परन्तु प्रायः यह देखने में आया है, कि समय विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव/प्रपत्र निदेशक (मा0सं0) को विलम्ब से प्राप्त होते हैं, जिस कारण संविदा कार्मियों के समय विस्तार में विलम्ब होता है तथा उन्हें वेतन विलम्ब से या दो तीन माह पश्चात् प्राप्त होता है। अतः पूर्व में उपनल/पी0आर0डी0/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संविदा पर कार्योजित कार्मिकों तथा समय–समय पर दिये गये समय विस्तार की समय–सीमा मात्र 31.03.2017 तक मानी जायेगी । संविदा पर कार्योजित कार्मिकों के समय विस्तार की अवधि में एकरूपता लाने को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कारपोरेशन कार्यहित में आदेशित किया जाता है कि –

1. <u>समय विस्तार सम्बन्धित प्रकरण</u> :–

समस्त नियंत्रक अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह समय विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव कारपोरेशन के पत्रांक संख्या 5966/निदेशक(मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 30.06.2016 द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप (जिसे कारपोरेशन की वैबसाइट www.upcl.org भी प्रर्दशित किया गया है), पर भरकर सभी साक्ष्यों सहित प्रतिवर्ष विलम्बतः 15 मार्च तक अवश्यमेव निदेशक (मा0सं0) को स्पष्ट संस्तुति सहित उचित माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियत्रंक अधिकारी द्वारा अपने उच्च अधिकारी की संस्तुति के बिना तथा विलम्ब से प्रेषित किए जाने वाले प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **<u>(सुलभ संदर्भ हेतु प्रारूप पुनः संलग्न है)।</u>**

<u>टिप्पणी</u> :–

<u>क.</u> यदि किसी खण्ड/मण्डल/इकाई कार्यालय द्वारा उनके अधीन संविदा पर कार्मिकों को कार्योजित करने की स्वीकृति दिनांक 31.03.2017 से भी आगे की तिथि को प्राप्त कर रखी है तो उसे मात्र 31.03.2017 तक के लिए माना जायेगा अर्थात् सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को दिनांक 31.03.2017 से आगे की अवधि के लिए प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर भर कर दिनांक 15.03.2017 तक उचित माध्यम द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) को उपलब्ध करंना होगा ।

<u>ख.</u> यदि किसी खण्ड/मण्डल/इकाई कार्यालय द्वारा उनके अधीन संविदा पर कार्मिकों के समयविस्तार करने की स्वीकृति दिनांक 31.03.2017 से भी आगे की तिथि को प्राप्त कर रखी है तो उसे मात्र 31.03.2017 तक के लिए माना जायेगा अर्थात् सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को दिनांक 31.03.2017 से आगे की अवधि के लिए प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर भर कर दिनांक 15.03.2017 तक उचित माध्यम द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) को उपलब्ध करना होगा ।

2. <u>अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर</u> :–

संविदा पर कार्योजित कोई भी कार्मिक शासन के आदेशानुसार अधिवर्षता आयु प्राप्त करता है तथा कारपोरेशन कार्यहित में उसके स्थान पर अन्य कार्मिक की नितान्त आवश्यकता होने पर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उसकी सूचना एक माह (30 दिन) पूर्व अपने उच्चाधिकारियों की स्पष्ट संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर उचित माध्यम द्वारा निदेशक (मा0सं0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। **(प्रारूप संलग्न)**

3. <u>कार्मिक के कार्य छोड़ने/हटाने की स्थिति में</u> :–

कोई भी संविदाकर्मी यदि स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है या अन्य किसी कारण से उसे सेवा से हटाया जाता है तो सम्बन्धित नियत्रंक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित कार्मिक का पूर्ण विवरण त्याग पत्र देने के कारण/कार्य से हटाए जाने के कारण सहित दोनों स्थिति में अपनी स्पष्ट संस्तुति/आख्या उचित माध्यम द्वारा निदेशक (मा0सं0) को 07 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगें तथा उसके स्थान पर अन्य की नितान्त आवश्यकता होने पर ही अन्य कार्मिक को कार्य पर रखने के लिए स्पष्ट एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव अपने उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित उचित माध्यम द्वारा पुनः अनुमोदन हेतु निदेशक मानव संसाधन को प्रेषित करेंगें (प्रारूप संलग्न)।

.....क्रमशः 2

(51)

4. **कार्मिक की मृत्यु होने की स्थिति में:–**

संविदा पर कार्योजित किसी भी कार्मिक की किसी कारणवश या गंभीर दुर्घटना के कारण मुत्यु हो जाती है तथा उसके स्थान पर अन्य कार्मिक की नितान्त आवश्यकता होने पर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अन्य कार्मिक को कार्य पर रखने के लिए स्पष्ट एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव संविदा कार्मिक की मृत्यु की दिनांक के एक सप्ताह के अंदर अपने उच्चाधिकारियों की स्पष्ट संस्तुति सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निदेशक (मा0सं0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। इसके साथ ही संविदा कार्मिक के निधन के कारणों के सम्बन्ध में भी स्पष्ट तथ्यात्मक आख्या उचित माध्यम द्वारा निदेशक(मा0सं0) को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। **(प्रारूप संलग्न)**

5. **पूर्व में अनुमोदन न लेने की स्थिति वाले प्रकरण के सम्बन्ध में :–**

संज्ञान में आया है, कि पूर्व में संविदा कार्मिको को बिना अनुमति एवं अनुमोदन के कार्य पर कार्योजित किया गया, जिस कारण वर्ष 2016–2017 में अपूर्ण सूचना होने के फलस्वरूप समय–विस्तार देने सम्बन्धी प्रकरण लम्बित है। अतः आदेशित किया जाता है कि यदि किसी मण्डल/खण्ड/विविध कार्यालय का वर्तमान में कोई भी ऐसा प्रकरण लम्बित है तो इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिनके कार्यकाल में नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया ताकि सम्बन्धित अधिकारी से बिना अनुमति के नियुक्ति देने का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।

6. **वित्तीय वर्ष के मध्य पुनः समय–विस्तार न लेने के सम्बन्ध में :–**

कई प्रकरणों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि संविदा कर्मियों के प्रथम अनुमोदनोपरान्त पुनः समय विस्तार हेतु अनुमोदन नहीं लिया गया। समय समाप्ति वर्ष के अगामी एक या दो वर्ष तक समय विस्तार निरन्तर लिया गया तथा उसके बाद सम्बन्धित क्षेत्र/मण्डल/खण्ड के नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष के मध्य में जब भी समय विस्तार समाप्त हुआ, कार्यरत कार्मिकों का समय विस्तार पुनः नहीं कराया गया जिस कारण अगामी वर्ष/वर्तमान में समय विस्तार देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः निदेशित किया जाता है कि समस्त नियत्रंक अधिकारी तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ उपनल/स्वयं सहायता समूह/पी0आर0डी0 के माध्यम से सविदा पर कार्योजित ऐसे कार्मिकों की सूचना सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम सहित उचित माध्यम द्वारा दिनांक 15.03.2017 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिसके कार्यकाल में समय–विस्तार हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी हैं ताकि उचित माध्यम द्वारा विलम्बतः 15.03.2017 तक निदेशक मानव संसाधन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तदपश्चात प्राप्त प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी रहेंगें।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 2133 निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक(वित्त)/निदेशक(परिचालन)/निदेशक(मा0सं0), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1 व 2), उपाकालि वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1 व 2), ...।
4– कम्पनी सचिव व महाप्रबन्धक(विधिक), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5– समस्त महाप्रबन्धक(वित्त), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
9– अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0)/लोक सूचनाधिकारी(मा0सं0), उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
10– अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
11– सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय ज्ञापन पंजिका/वैयक्तिक पत्रावलिंया/कट/फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

बिन्दु सं० 01 के संदर्भ में प्रारूप

(52)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Phone : 0135-2768820, FAX : 0135-2769771
CIN : U40109UR2001SGC025867
website : www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन,
कांवली रोड़, देहरादून–248001
☎ –0135–2768820, फैक्स 0135–2769771

पत्रांक–5966 /निदेशक(मा०सं०)/उपाकालि दिनांक : 30-06-2016

समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–I/II(वितरण/परियोजना),
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0,
हरिद्वार/रूद्रपुर/गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र/
आर०ए०पी०डी०आर०पी० /नियोजन

विषय : उपनल कार्मिकों के समयविस्तार के सम्बन्ध में।

कृप्या उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि प्राय: यह देखने में आया है, कि उपनल/पी०आर०डी० कार्मिकों का समय विस्तार सम्बन्धित पत्राचार क्षेत्रों एवं खण्डों से मुख्यालय में समय से नही हो रहा है, जिसके कारण उपरोक्त वर्णित कार्मिकों को समयविस्तार समय पर न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: आप से अनुरोध है कि उपनल कार्मिकों सम्बन्धी समय विस्तार हेतु पत्राचार समयावधि समाप्ति से एक माह पूर्व प्रार्थना पत्र तथा कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति देने सम्बन्धी कॉरपोरेशन की अनुमति पत्र तथा समय–समय पर दिये गये समयविस्तार सम्बन्धी अनुमति पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे समय विस्तार कार्य ससमय एवं सुचारू रूप से किया जाना सम्भव हो सकें।

कृपया कर सूचना निम्नपारूपानुसार देने का कष्ट करें :–

क्र. सं.	संविदा कार्मिक का नाम/पिता का नाम/ जन्मतिथि	श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	संविदा कार्मिक का पदनाम एवं भविष्य निधि खाता संख्या	संविदा कार्मिक की वर्तमान तैनाती स्थान	संविदा पर प्रथम नियुक्ति/ नियोजन हेतु कॉरपोरेशन अनुमति संख्या व तिथि	संविदा पर नियोजन समयावधि वृद्धि हेतु समय–समय पर कॉरपोरेशन से प्राप्त अनुमति के आदेश का वर्षवार पूर्ण विवरण	समय विस्तार हेतु मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति

(के0बी0चौबे)
उपमहाप्रबन्धक(औ0स0एवंका0प्र0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :– 5966

1. सीनियर एक्सक्यूटिव सेकरेटरी, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन, देहरादून।
2. निदेशक(मा0सं0/परियोजना/परिचालन/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, आर०ए०पी०डी०आर०पी०, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि ....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि ....।
6. अधिशासी अभियन्ता(का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू0एवं0प्रो0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, देहरादून को इस आशय की उपाकालि वेबसाईट पर तत्काल प्रदर्शित करने हेतु।

30-6-16
(के0बी0चौबे)
उपमहाप्रबन्धक(औ0स0एवंका0प्र0)

बिन्दु संख्या–2 के सम्बन्ध में प्रारूप

आउटसोर्स संविदा एजेंसी का नाम

अधिवर्षता आयु प्रदान करने वाले कर्मचारी का विवरण

क.स.	नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	अधिवर्षता की आयु	विभाग में संविदा पर कार्योजित / पुर्नकार्योजित / अनुबन्ध की तिथि	अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने वाले कार्मिक के स्थान पर प्रतिस्थानी की आवश्यकता है, यदि हां तो स्पष्ट संस्तुति / प्रस्ताव सुनिश्चित करें	टिप्पणी यदि कोई हो

(54)

बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में प्रारूप

आउटसोर्स संविदा एजेंसी का नाम

कार्मिक के कार्य छोडने/हटाने के सम्बन्ध में ।

क.स.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	विभाग में संविदा पर कार्योजित/पुर्नकार्योजित/अनुबन्ध की तिथि	हटाये जाने का कारण	स्वेच्छा से छोड़ने का कारण व त्यागपत्र की छायाप्रति	टिप्पणी यदि कोई हो

55

बिन्दु संख्या–4 के सम्बन्ध में प्रारूप

आउटसोर्स संविदा एजेंसी का नाम

मृतक कार्मिक का विवरण

क.स.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	निधन की तिथि	मृत्यु का कारण	टिप्पणी यदि कोई हो

बिन्दु संख्या–5 के सम्बन्ध में प्रारूप

आउटसोर्स संविदा एजेंसी का नाम

पूर्व में अनुमोदन न लेने की स्थिति में

क.स.	नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	विभाग में संविदा पर कार्योजित / पुर्नकार्योजित / अनुबन्ध की तिथि	वर्ष (अवधि) का विवरण जिसमें अनुमोदन नहीं लिया गया	अनुमोदन न लेने का कारण	अधिकारी का नाम / पदनाम जिनके कार्यकाल में अनुमोदन नहीं लिया गया ।

बिन्दु सख्या–6 क सम्बन्ध म [illegible]

आउटसोर्स संविदा एजेंसी का नाम

वित्तीय वर्ष के मध्य पुनः समयविस्तार न लेने की स्थिति में

क.स.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	विभाग में संविदा पर कार्योजित/पुर्नकार्योजित/अनुबन्ध की तिथि	वित्तीय वर्ष (अवधि) जिसमें समयविस्तार नहीं लिया गया है	समय समाप्ति के पश्चात् समय विस्तार न लेने का कारण	अधिकारी का नाम/पदनाम जिनके कार्यकाल में समयविस्तार नहीं लिया गया ।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक– –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/संविदा दिनांक : 12/10/2020

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशक (परिचालन), उ0पा0का0लि0 की संस्तुति तथा खण्डीय अधिकारियों के द्वारा बार–बार किये जा रहे अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या 2133–निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 01–03–2017 के बिन्दु संख्या– 02, 03 एवं 04 तथा समय विस्तार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 826–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि /का0अनु0/संविदा दिनांक 05–03–2020 के बिन्दु संख्या–2 संविदा कार्मिकों (उपनल/स्वयं सहायता समूह/पी0आर0डी0) की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने, कार्य छोड़ने/हटाने, संविदा कार्मिकों की मृत्य होने की स्थिति में उनके स्थान पर अन्य कार्मिक की नितान्त आवश्यकता होने पर अन्य कार्मिक को प्रतिस्थानी के रूप में कार्मिकों को रखे जाने हेतु प्रस्ताव निदेशक (मा0सं0), उपाकालि को प्रेषित किये जाने कि व्यवस्था को समाप्त करते हुये मुख्यालय द्वारा संविदा कार्मिकों (उपनल/स्वयं सहायता समूह/पी0आर0डी0) के स्वीकृत पदों की संख्या के सापेक्ष प्रतिस्थानी रखने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 2133–निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 01–03–2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 826–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/संविदा दिनांक 05–03–2020 की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अभियन्ता, संविदा कार्मिकों के प्रतिस्थानी को रखते समय कारपोरेशन परिपत्र संख्या 452–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 26–05–2015 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें तथा यह भी सुनिश्चित करेंगें कि मुख्यालय द्वारा संविदा कार्मिकों (उपनल/स्वयं सहायता समूह/पी0आर0डी0) के स्वीकृत पदों की संख्या से किसी भी दशा में अधिक न हो तथा संविदा कार्मिक के प्रतिस्थानी की ऐजेन्सी न बदली जाये तथा प्रतिस्थानी रखने के उपरान्त इसकी सूचना निदेशक (मा0सं0) कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–2893 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0/संविदा/तद्‌दिनांक

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/ परियोजना/वित्त/मा0सं0), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II), उपाकालि, ...।
4. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि, ...।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. सम्बन्धित अनुभाग।

12.10.2020
(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्रभारी)

59

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501
FAX: 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन
काँवली रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2767501 फैक्स: 0135-2769771

6

पत्रांक :- 452-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि०/ दिनाँक :26-05-2015

विषय:- उपनल के माध्यम से उ०पा०का०लि० में अनु०जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण),
गढ़वाल/कुमायूँ/हरिद्वार/रूद्रपुर क्षेत्र,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून/हल्द्वानी/हरिद्वार/रूद्रपुर।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विद्युत आरक्षित एसोशिएशन तथा उ०पा०का०लि० प्रबन्धन के मध्य दिनांक 05.05.2015 को हुई वार्ता में एसोशिएशन द्वारा शासनादेश संख्या 426/XXX(2)2012-3(2)2006 दिनांक 25.05.2012 के तहत् बाहरी संस्थाओं (Out Sourcing) एवं उपनल में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग रखी गई थी। इस मांग के सन्दर्भ में वार्ता में यह सहमति बनी कि भविष्य में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को उपनल के माध्यम से कार्योजित किए जाने वाले पदों पर कार्योजित कार्मिकों का किन्ही भी कारणवश पद रिक्त होने की स्थिति (मृत्यु/त्यागपत्र/सेवानिवृत्त/पदोन्नति/नव सृजन आदि) तथा रिक्त पद को उपनल के माध्यम से भरे जाने की स्थिति में आरक्षण/बैकलॉक कोटे को पूर्ण करने के उद्देश्य से मात्र आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को कार्योजित किया जाये।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी उ०पा०का०लि० के विभिन्न इकाइयों (क्षेत्र/मण्डल/खण्ड) के अन्तर्गत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन पत्रांक 4667/उ०म०प्र०(औ०सं०एवं का०प्र०)/उपाकालि दिनांक 12.06.2014 एवं पत्रांक 5052/उ०म०प्र०(औ०सं०एवं का०प्र०)/उपाकालि दिनांक 31.05.2014 द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो आज दिनांक 26.05.2015 तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पाई है जिससे उपरोक्तानुसार बैकलॉक कोटे को पूर्ण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा एसोसिएशन द्वारा बार-बार इस सम्बन्ध में कार्यवाही न होने पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। अतः उपरोक्त पत्रों द्वारा मांगी गई सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

26/5/15
(शरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)
o/c

पत्रांक :- 452- निदे० (मा०सं०)/उपाकालि०/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०का०वि०गबर सिंह भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (मा०सं०), उ०पा०का०लि०, वि०का०वि०गबर सिंह भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I) उ०पा०का०लि०, वि०का०वि०गबर सिंह भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-II) उ०पा०का०लि०, वि०का०वि०गबर सिंह भवन, देहरादून।
5. श्री नरेन्द्र सिंह रवि (केन्द्रिय अध्यक्ष)

26/5/15
(शरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)
o/c

Read
HS

S.S. Rajan

संख्या 426/XXX(2)/2012-3(2)2006

प्रेषक,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 मई, 2012

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कमशः सीधी भर्ती में 19%, 04% एवं 14% आरक्षण अनुमन्य है।

2– वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययिता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने के स्पष्ट नियम विद्यमान न होने के कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

3– अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/ शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढ़ाँचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/ सेवाओं की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि विभागीय ढ़ाँचे में स्वीकृत संवर्ग/ पद "मृत संवर्ग" घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्ध है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/ सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा ऐसे सेवायोजन में भी कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

61

4– उक्त के निमित्त प्रकिया यह अपनायी जायेगी कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था अधियाचन प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष आरक्षण की विद्यमान स्थिति का ऑकलन करते हुए आवश्यक कार्मिकों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की संख्या भी आकलित की जायेगी और तदनुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग/अधियाचन प्रेषित किया जायेगा, जिसके कम में बाहय सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी।

5– अन्य प्रकरणों में जहाँ विभाग के संरचनात्मक ढ़ॉचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवस्था है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु "उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– कृपया आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया),
प्रमुख सचिव।

संख्या 426 (1)/XXX(2)/2012 3(2)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

(62) (149)

संख्या:- 724 / XVII-3 / 11-09(75) / 2013

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संदिग्ध।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0,
देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 27 नवम्बर, 2013

विषय:-राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण का प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश-426 / XXX(2) / 2012 दिनांक 25 मई, 2012 व तद्विषयक शासनादेश संख्या-475 / XXX(2) / 2013-3(15) 2012 दिनांक 05 अप्रैल, 2013 एवं शासनादेश संख्या-695 / XXX(2)2013-3(15) / 2012 दिनांक 18 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-935 / XXX(2)2013-3(15) / 2012 दिनांक 23 सितम्बर, 2013 (छायाप्रति संलग्न) जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है, के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में पुनः यह तथ्य लाये गये हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा रहा हैं। कार्मिक विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाली सेवाओं मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या आंगणित करते हुए आरक्षण अनुमन्य किये जाने के निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों मे आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन कराने वाली एक प्रमुख इकाई है, अतः उपनल स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन प्रदान करने के लिये जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है, वह उपरोक्त आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुरूप होने चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपनल स्तर पर भी यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विभिन्न विभागों द्वारा जिस श्रेणी के जितने पदों हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त करने की मांग की गयी है, उनमें कुल रिक्त पदों के सापेक्ष उपरोक्तानुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये हों। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो सम्बन्धित विभाग से यह जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही उपनल द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदवार अभ्यर्थी सेवायोजन हेतु भेजे जाय । इस सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रारूप पर सूचना प्राप्त की जाय।

संख्याः– / XVII–3 / 11–(9(75) / 2013 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
9. कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
10 आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(डी० रावेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

D: Saini, Kalyan/G.O. Letter/2011-12

(64) (147)

परिशिष्ट-क

<u>प्रारूप</u>

विभाग का नाम...

क.सं.	संविदा के आधार पर भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या		अब तक सभी श्रोतों (उपनल तथा अन्य) से संविदा के आधार पर रखे गये कार्मिकों का विवरण					वर्तमान में वांछित पदों की वर्गवार संख्या				
1	2		3					4				
				सामान्य	अनु.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		सामान्य	अनु.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	अकुशल		अकुशल					अकुशल				
2	अर्द्धकुशल		अर्द्धकुशल					अर्द्धकुशल				
3	कुशल		कुशल					कुशल				
4	उच्च कुशल		उच्च कुशल					उच्च कुशल				
5	अधिकारी वर्ग		अधिकारी वर्ग					अधिकारी वर्ग				
योग			योग					योग				

इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उपरोक्तानुसार उपनल द्वारा की गयी कार्यवाही की पाक्षिक रिर्पोट प्रत्येक माह की 15 एवं 31 तारीख को शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक– 3800 /निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि/अनु0–(एच)संविदा दिनांक : 16/11 /2021

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(जानपद)
गढ़वाल/हरिद्वार/कुमायूँ/रूद्रपुर क्षेत्र,
अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/रूद्रपुर।

विषय :– उपनल के माध्यम से उ0पा0का0लि0 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक विद्युत ऊर्जा आरक्षित वर्ग एसोसिएशन, देहरादून के साथ दिनांक 12–08–2021 को प्रबन्धन के साथ हुई वार्ता में एसोसिएशन द्वारा शासनादेश संख्या 426/XXX(2)2012-3(2)2006 दिनांक 25.05.2012 के तहत् उपनल के माध्यम से रिक्त पदों पर कार्योजित किए जाने वाले पदों पर आरक्षण/बैकलॉक कोटे को पूर्ण करने हेतु आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग) के कार्मिकों का रखे जाने सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में बनी सहमति एवं प्रबन्ध निदेशक, महोदय उपाकालि के अनुमोदन (अनुमोदन संख्या–5993/MD/A-1 दिनांक 29–10–2021) के उपरान्त, पूर्व में निर्गत कारपोरेशन पत्रांक 452–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 26–05–2015 के कम में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों का कोटा पूर्ण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 426/XXX(2)2012-3(2)2006 दिनांक 25.05.2012 के तहत् एक Special Drive चलायी जा रही है जिसके तहत् उ0पा0का0लि0 के विभिन्न इकाईयों (क्षेत्र/मण्डल/खण्ड) के अन्तर्गत उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिक का पद रिक्त होने (अधिवर्षता आयु/मृत्यु/कार्य छोड़ने/हटाने) की स्थिति में, प्रतिस्थानी के रूप में केवल आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के कार्मिकों को ही अग्रिम आदेशों तक कार्योजित करना सुनिश्चित करें एवं प्रतिस्थानी के रूप में रखें जाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की पूर्ण सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

12.11.2021
(के0 बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (प्रभारी)

पत्रांक :– 3800 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/का0अनु0–एच(संविदा)/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त/मा0सं0) उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. केन्द्रीय अध्यक्ष, विद्युत ऊर्जा आरक्षित वर्ग एसोसिएशन, केन्द्रीय कार्यालय आरक्षित भवन, 18 ई0सी0, रोड़, देहरादून।

12.11.2021
(के0 बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (प्रभारी)

66

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक– 2283 /निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक : 23/ 07/2018

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2)
समस्त महाप्रबन्धक (वित्त/विधिक),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
समस्त उपमुख्यलेखाधिकारी,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,

....

विषय : **उपनल/एस0एच0जी0/पी0आर0डी0 के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों के स्थानान्तरण/पारस्परिक स्थानान्तरण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कारपोरेशन के विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/मण्डलों/खण्डों तथा अन्य विविध कार्यालयों से उपनल/एस0एच0जी0/पी0आर0डी0 के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों के स्थानान्तरण/पारस्परिक स्थानान्तरण के प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, जबकि उपनल/एस0एच0जी0/पी0आर0डी0 के माध्यम से संविदा पर कार्योजित संविदा कार्मिकों का स्थानान्तरण पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

अतः प्रबन्धन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि कृपया ऐसे प्रकरणों को कारपोरेशन को अग्रसारित न करें जिससे कारपोरेशन के श्रम एवं समय के अपव्यय से बचा जा सके।

(पी0 सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

पत्रांक :-2283 निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सीनियर एक्सीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना/परिचालन/मा0सं0/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रो0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश को उ0पा0का0लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

23/7/18
(पी0 सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

67

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501 FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन,
काँवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2767501 फैक्स: 0135–2769771

पत्रांक : –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/आउटसोर्स मानव शक्ति दिनांक : 02–05–2017

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2017 को सम्पन्न 79वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 79.34 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) एवं पी0आर0डी0 के माध्यम से मानव शक्ति को कार्योजित करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

1. वर्तमान में उपनल/एस0एच0जी0/पी0आर0डी0 के माध्यम से कार्मिक कार्योजित कार्मिकों की संख्या को अंतिम निर्धारित करते हुए नयी स्वीकृतियों पर अस्थाई रोक लगाई जाती है।
2. आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिक कार्योजित करने की प्रबल आवश्यकता होने की स्थिति में सम्बन्धित निदेशक कार्य आवश्यकता/मानव शक्ति की कमी के दृष्टिगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर निदेशक (मानव संसाधन) के साथ चर्चा/सहमति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. वर्तमान तक विभिन्न संस्थाओं (उपनल/एस0एच0जी0/पी0आर0डी0) के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कार्मिकों का समय विस्तार के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित निदेशकगण की संस्तुति उपरान्त प्रस्ताव निदेशक (मानव संसाधन) को प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 4521 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ आउटसोर्स मानव शक्ति तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्सीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. समस्त निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उपाकालि, ...।
4. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
9. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रो0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त अनुभाग/प्रभारी, कार्मिक विभाग, उपाकालि, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

2/5/17
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)